मेहनतकशों का पैग़ाम — मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha1987@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

- अवैध निर्माणों की रिश्वत के भाव बढ़े : चोर-उचक्के चौधरी, लुडीरन प्रधान वाली कहावत चरितार्थ 3
- क्या डूबने वाला है आईसीआईसीआई बैंक
- निजी क्षेत्र के बैंको की बेशर्मी देखिए 4
- मोदी जी! बंद कीजिए ये दिखावा, डार्विन और न्यूटन पर शिक्षामंत्री की गलतबयानी पर चुप्पी 5
- मेडिकल कमिश्नर कटारिया है अड़ंगा मास्टर 8

वर्ष 31 अंक -15 फ़रीदाबाद 8-14 अप्रैल 2018 फ़ोन : - 9999595632 ₹ 2

भाजपा और उसके दो मंत्रियों द्वारा अनिल जिंदल को दिया जा रहा संरक्षण बेनकाब

एसआरएस ग्रुप के चेयरमैन की गिरफ्तारी के पीछे क्या खेल हुआ

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबाद: पूर्व हरियाणा में रियल्टी सेक्टर की बड़ी कंपनी एसआरएस ग्रुप के चेयरमैन अनिल जिंदल और उनकी कंपनी के अन्य डायरेक्टरों को आखिरकार फरीदाबाद पुलिस को गिरफ्तार करना ही पड़ा। जनता, प्राइवेट इनवेस्टर्स और एकाध बैंक पिछले छह महीने से अनिल जिंदल और उसके गुर्गों पर पुलिस एक्शन की मांग कर रहे थे लेकिन पुलिस इस शख्स को बचा रही थी। हाल ही में जब मजदूर मोर्चा ने पूरे तथ्यों के साथ एसआरएस ग्रुप द्वारा की गई लूटपाट की खबर छापी तो हरियाणा सरकार को एक्शन के लिए बाध्य होना पड़ा। इस सारे प्रकरण में भाजपा और उसके दो मंत्रियों द्वारा इस शख्स को दिया जा रहा संरक्षण बेनकाब हो गया।

कौन बचा रहा था जिंदल को

पुलिस का कहना है कि उसे मुखबिरों के जरिए सूचना मिली और उसने दिल्ली में महिपालपुर के होटलों में ठहरे अनिल जिंदल, बिशन बंसल, नानकचंद तायल व देवेंद्र अधाना और विनोद गर्ग उर्फ मामाजी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन यह एक प्रायोजित गिरफ्तारी थी। आला पुलिस अफसर जानते थे कि बैंकों और प्राइवेट इन्वेस्टरों को लूटने वाला यह गैंग कहां छिपा हुआ है लेकिन पुलिस को मिलने वाली मोटी मंथली और भाजपा नेताओं से मिल रहा संरक्षण पुलिस अफसरों को एक्शन से रोक रहा था।

पुलिस के पास एसआरएस के खिलाफ सौ से ज्यादा शिकायतें थीं और दो दर्जन से ज्यादा एफआईआर थी लेकिन इसके बावजूद एक्शन जीरो था। मजदूर मोर्चा के पिछले अंकों में हमने लगातार बताया है कि एसआरएस ग्रुप के चेयरमैन अनिल जिंदल से केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और हरियाणा सरकार के मंत्री विपुल गोयल के मधुर संबंध रहे हैं। जिंदल के तमाम सार्वजनिक कार्यक्रमों में दोनों मंत्री खुलेआम शामिल होते रहे हैं। पूंजीपति और दलाल मीडिया उनके फोटो और समाचार छापता रहा। बैंकों से कर्ज लेकर और प्राइवेट इन्वेस्टरों का पैसा हड़प कर अमीर बने अनिल जिंदल की कामयाबी की कहानियां जनता को दलाल मीडिया बताता रहता था। दलाल मीडिया ने यह तक तर्क दिए कि अगर अनिल जिंदल की गिरफ्तारी हो गई तो प्राइवेट इन्वेस्टरों के करोड़ों रुपये डूब जाएंगे क्योंकि गिरफ्तारी होने के बाद उन पैसों की वसूली लोग किनसे करेंगे। यह तर्क भी दलाल मीडिया तक उन्हीं मंत्रियों द्वारा पहुंचाए गए जो इस शख्स को संरक्षण दे रहे थे।

एसआरएस पीड़ित मंच ने इस मामले में बहुत सूझबूझ से काम लिया। उन्होंने मजदूर मोर्चा में एसआरएस ग्रुप के बारे में छपी तथ्यपूर्ण खबरों के साथ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर से संपर्क साधा। मुद्दे की तलाश में भटक रहे अशोक तंवर ने इसे फौरन लपक लिया। उन्होंने अखबार में छपी खबर का हवाला देकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर दबाव बनाया कि अगर अनिल जिंदल को गिरफ्तार नहीं किया गया तो कांग्रेस पार्टी मामला विधानसभा और लोकसभा में उठाएगी।

एक के बाद एक बैंक घोटाले सामने आ रहे हैं और इसमें भाजपा नेताओं व मंत्रियों की संलिप्तता जिस तरह सामने आ रही है, उसने मनोहर लाल खट्टर सरकार को एक्शन पर मजबूर किया। मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद के आला पुलिस अफसरों से अनिल जिंदल एंड कंपनी की गिरफ्तारी के लिए निर्देश जारी किया। इसके बाद फरीदाबाद पुलिस के पास इनकी गिरफ्तारी न करने का कोई बहाना नहीं था। खट्टर की सीएम विंडो पर पिछले एक साल से एसआरएस ग्रुप के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगे हुए थे, अगर खट्टर को कोई एक्शन लेना था तो वह छह महीना पहले ही उन्हीं शिकायतों के आधार पर एक्शन ले सकते थे। लेकिन कांग्रेस की राजनीतिक धमकी के बाद खट्टर सरकार गंभीर हुई।

कितने का घोटाला किया है एसआरएस ग्रुप ने

इसका कोई ठोस आंकड़ा किसी के पास नहीं है। लेकिन मजदूर मोर्चा के पास उपलब्ध जानकारी के मुताबिक एसआरएस ग्रुप ने 200 से ज्यादा शेल (फर्जी) कंपनियां खड़ी कीं और इन्हीं की आड़ में सरकारी और गैर सरकारी बैंकों से करीब 7000 करोड़ के कर्ज लिए गए। फिर इन पैसों को अन्य जगहों पर लगाया गया या उड़ाया गया। इसी तरह प्राइवेट इन्वेस्टरों को मोटा रिटर्न देने के नाम पर उनसे भी करीब 2000 करोड़ रुपये लिए गए। फ्लैट्स के प्रोजेक्ट्स की प्री लॉन्चिंग के नाम पर जनता से करीब 1000 करोड़ रुपये की ठगी की गई। हालांकि हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर ने इसे 30 हजार करोड़ रुपये का घोटाला बताया है।

बहरहाल, प्राइवेट इन्वेस्टरों और जनता के साथ हुई ठगी के रेकॉर्ड मिलना जांच एजेंसियों के लिए मुश्किल होगा लेकिन बैंकों के लोन हड़पने के सबूत उपलब्ध हैं। ज्यादातर बैंक लोन डिफाल्टर मामले में ही इस शख्स को मुकदमों का सामना करना पड़ेगा। ताज्जुब की बात है कि केनरा और आंध्र बैंक के अलावा अभी तक किसी बैंक ने एसआरएस ग्रुप के खिलाफ लोन डिफाल्टर की कानूनी कार्यवाई तक शुरू नहीं की जबकि एक साल से सभी बैंकों की किस्तें रुकी हुई थीं लेकिन बैंकों में बड़े स्तर पर जिंदल की सेटिंग के कारण बैंक भी चुप बैठे थे।

इनेवस्टरों की आपबीती

कुछ इन्वेस्टरों ने बताया कि जब-जब वो लोग अमित जिंदल के पास अपने पैसे मांगने पहुंचे तो वहां फरीदाबाद के एक पूर्व मंत्री का बेटा और कुछ पहलवान बैठे होते थे। वो लोग पैसे मांगने वालों से कहते थे कि जिंदल भाई साहब का उनके रहते हुए कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यह अपने आप में इशारा था कि जिंदल से कोई पैसे मांगेगा तो वह उसकी पिटाई करने के लिए बैठे हैं। बता दें कि यह पूर्व मंत्री कभी सैनिक कॉलोनी के प्रोजेक्ट से जुड़ा रहा है और अब उसका लड़का भी प्रॉपर्टी बिजनेस में है। लेकिन यह संरक्षण सिर्फ यहीं तक नहीं था।

एक मौजूदा मंत्री और उसका बेटा भी एसआरएस, पीयूष ग्रुप व अन्य के मददगार बने हुए हैं। यह लोग प्रशासनिक अफसरों तक पैसे पहुंचवाने का काम करते हैं। यानी प्रॉपर्टी मार्केट लुटेरे नेताओं के जरिए प्रशासन के कृपापात्र बने हुए हैं। यह भाजपाई नेता भी प्रॉपर्टी के धंधे में है। फरीदाबाद में दो मजाक आम हो गए हैं कि किसी भी बड़ी बिल्डिंग पर हाथ रख दो, तुरंत पता चल जाता है कि मंत्री जी का इसमें हिस्सा या फिर उनका आशीर्वाद मिला हुआ है। दूसरा मजाक यह है कि प्रॉपर्टी मार्केट में दो नंबर धंधे में शहर के ज्यादातर वैश्य समुदाय के लोग हैं जो धोखाधड़ी कर रहे हैं लेकिन उन्हें बचाने वाले गुर्जर और जाट नेता बाकायदा संरक्षण दे रहे हैं।

फरीदाबाद-पलवल जिले के बाकी भाजपा विधायकों की हालत यह हो गई है कि बेचारे आम जनता की तरह मंत्री और उसके बेटे के पास फरियाद लेकर गिड़गिड़ाने जाते हैं लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिलती। इनमें से कुछ ने मुख्यमंत्री व भाजपा आला कमान तक शिकायतें पहुंचाई लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ।

रावल ग्रुप के नाम से शिक्षण संस्थान चलाने वाले एक पार्टनर का पैसा भी एसआरएस के पास फंसा हुआ है। वह जब अपना पैसा मांगने पहुंचे तो मंत्री और उनके गुर्गों ने धमका दिया। फरीदाबाद में इतनी अंधेरगर्दी कभी नहीं चली थी जितनी मंत्री और उसके गुर्गों ने पूरे शहर में की हुई है।

शेष पेज तीन पर

रिश्वत लेते पकड़ी गई एसडीएम चंडीगढ़, जमानत पर आकर लगी एसडीएम उचाना

जींद (म.मो.) डॉक्टर शिल्पी पात्र नाम की एक महिला एचसीएस अधिकारी चंडीगढ में एसडीएम के पद पर तैनात थी। इस तैनाती के दौरान उसने एक दुकान की एलाटमेंट में एक व्यक्ति से ढाई लाख रिश्वत की मांग अपने पति व एक बिचौलिये के माध्यम से की थी। जानकारों के मुताबिक सौदा एक लाख में पट भी गया था। दुकानदार ने रिश्वत की पूरी रकम अदा भी कर दी थी। लेकिन एसडीएम शिल्पी के मन में लालच आ गया। उसने सौदे से मुकरते हुए एक लाख की मांग और कर डाली।

परेशान दुकानदार ने सारी बात स्थानीय सीबीआई अधिकारियों को बताई। छापेमारी की योजना विधिवत बनाकर दुकानदार को 50,000/-देकर शिल्पी के पास भेजा गया। रुपये लेते ही, पहले से तैयार सीबीआई टीम ने एसडीएम साहिबा को दबोच लिया। जांच पड़ताल में उनके पति व बिचौलियों का पता लगने पर उन्हें भी गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया गया। करीब ढाई माह जेल में रहने व करीब 7-8 माह निलम्बित रहने के पश्चात् खट्टर सरकार ने उन्हें न केवल बहाल कर दिया बल्कि उचाना के एसडीएम पद पर तैनात भी कर दिया।

खट्टर सरकार द्वारा भ्रष्टाचार-मुक्त प्रशासन देने का नारा कितना खोखला है, उसे समझने का यह एक बहुत बढिया उदाहरण है।

उन्हें शायद शिल्पी पात्र से अधिक ईमानदार एवं स्वच्छ छवि का कोई एचसीएस अधिकारी नहीं मिला। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि खट्टर को अन्य सभी अधिकारी शिल्पी से भी अधिक भ्रष्ट नज़र आते हैं। यदि ऐसा ही है तो फ़िर राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त की बजाय भ्रष्टाचारयुक्त कहना ज़्यादा प्रासांगिक होगा।

जानकार सूत्रों का मानना है कि इस तैनाती के पीछे केन्द्रीय मंत्री बिरेन्द्र सिंह का हाथ है क्योंकि उचाना उनका चुनाव क्षेत्र है। गत सप्ताह बिरेन्दर सिंह ने अपने जन्मदिन के अवसर पर हवन आदि का एक बड़ा पाखंड रचा था। इसमें मुख्यमंत्री खट्टर भी शामिल हुए थे। इस अवसर पर बिरेन्द्र सिंह ने मुख्यमंत्री के सामने कुछ मांगे तो सार्वजनिक रूप से रखी थी कुछ मांगे अलग से पर्दे में रखी होंगी। उन्हीं पर्दे वाली मांगों में से एक मांग शिल्पी की तैनाती की भी रही होगी।

बेशर्मी का आलम

हाईवे पर मौतों के बाद मंत्री को पैदल पुल की याद आई

फरीदाबाद (म.मो.) दिनांक 5 अप्रैल को स्थानीय सांसद एवं केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल गूजर ने राजमार्ग पर बनने वाले सात पैदल पुलों का शिलान्यास कर दिया।

विदित है कि शहर के बीच से गुजरते राजमार्ग को छह लेन का करने व उपरगामी पुल बनाने से वाहनों की गति काफी बढ़ गई। ऐसे में इतनी चौड़ी सड़क को पैदल पार करने की कोई व्यवस्था न करने से गत एक वर्ष में सैकड़ों लोग सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा बैठे हैं।

एक नौ वर्षीय बालक तो ठीक उसी दिन एक बस की चपेट में आकर मारा गया जिस दिन मंत्री जी पुलों के शिलान्यास की ड्रामेबाजी कर रहे थे। बालक बल्लभगढ़ अनाज मंडी के सामने से सड़क पार कर रहा था कि यूपी रोडवेज की बस के नीचे आकर मारा गया। जनता द्वारा पीटे जाने के डर से ड्राइवर बस छोड़कर भाग गया। पुलिस ने भी बस ड्राइवर के विरूद्ध ही मुकदमा दर्ज करके अपने कर्त्तव्य की इतिश्री कर ली।

वास्तव में इस तरह की दुर्घटनाओं के लिए ड्राइवर नहीं बल्कि सरकार दोषी होती है। जिस केन्द्रीय मंत्री नीतिन गडकरी ने यह राजमार्ग अनिल अम्बानी के हाथों बेच रखा है, असली दोषी तो वही है जो जनता को नजर नहीं आता। सड़क पर भीड़ द्वारा पिटाई का डर यदि ड्राइवर की बजाय शिलान्यास करने तथा नारियल फोड़ने वाले मंत्रियों को जिस दिन होने लगेगा ये दुर्घटनायें स्वत: बंद हो जायेंगी।

विदित है कि गत छह-सात वर्षो से इस राजमार्ग निर्माण के नाम पर अनिल अम्बानी करोड़ों रुपया रोजाना बतौर टोल टैक्स जनता से लूट रहा है। मंत्री कष्णपाल गूजर गत दो-तीन बरसों स इसी राजमार्ग पर नारियल फोड़ने में व्यस्त हैं। क्या उन्हें पैदल सड़कर पार करने वाले नजर नहीं आते? क्या उन्हें राजमार्ग के अपरगामी पुलों पर छाया अंधेरा नजर नही आता?

अभी भी केवल सात पैदल पुलों का शिलान्यास किया है मंत्री जी ने जबकि सैक्टर 28 से लेकर सीकरी गांव तक कम से कम बीस ऐसे पुलों की जरूरत है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार ये सात पुल भी स्वचालित एक्सकेलेटर वाले न होकर साधारण सीढ़ियों वाले ही होंगे। जाहिर है इससे वृद्धों व दिव्यांगों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

नारी के सम्मान में बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय मैदान में.....

अध्यक्ष जी कहते हैं अपनी फोटो भेजो..
महिला बोलती हैं मैं शादी शुदा हूँ...
अध्यक्ष जी कहते हैं तो क्या हुआ....
अपनी Hot Picture भेजिये.....
महिला : क्या काम है मेरे फोटो से ?
अध्यक्ष जी : देखने का बहुत मन कर रहा है...
महिला बोलती हैं ऐसा भी क्या है हममें सर.. ??
अध्यक्ष जी कहते हैं आप में जो हैं वह किसी में नहीं...
अब तक की बातचीत में अध्यक्ष जी बहुत गरम हो गये, जोश में अपने गुप्तांग की फोटो महिला को भेज दी...और कहने लगे हमें ऐसी ही फोटो आपकी चाहिए.....
महिला बोलती हैं, आप पागल तो नहीं हो ऐसा कोई फोटो भेजता है क्या.. ?
अध्यक्ष जी कहते हैं बोलो आपको पार्टी संगठन में क्या बनाना है... ?

(फेसबुक मेसेंजर)

एससी-एसटी एक्ट, अपने गिरेबां में झांकने का वक्त!

- धीरेश सैनी

देश के विभिन्न हिस्सों में कल 2 अप्रैल को भारत बंद के आह्वान के साथ दलितों और सामाजिक न्याय में यक़ीन रखने वाले दूसरे लोगों के प्रदर्शन के बाद एक प्रश्न सुप्रीम कोर्ट की अवमानना को लेकर खड़ा किया जा रहा है। इस बंद का मुद्दा चूंकि एससी-एसटी एक्ट (scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act, 1989) में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थीं तो इस तरह का प्रश्न स्वाभाविक है। एक सवाल हिंसा को लेकर है। इन दोनों सवालों के बरअक्स एक सवाल यह है कि कौन सी ताकत है जो देश में खुलेआम कोर्ट व संविधान की धज्जियां उड़ाती है, हिंसा के खुले खेल खेलती है और लगातार अराजकता व उपद्रव का माहौल बनाए रखती है।

जिन लोगों को एकाएक संविधान और सुप्रीम कोर्ट की पवित्रता का ख़याल आ रहा है, उनकी अतीत व वर्तमान की कारगुजारियों पर एक नज़र डालना जरूरी है। देश के एक हाई प्रोफाइल संत श्रीश्री रविशंकर ने हाल ही में कहा था कि अयोध्या विवाद नहीं सुलझा तो देश सीरिया में बदल जाएगा। साथ में इस विवाद को सुलझाने का एकतरफा फैसला भी उन्होंने दिया था कि मुसलमान इस धार्मिक स्थल पर अपना दावा छोड़ दें। उन्होंने कहा था कि अदालत के फैसले से कोई एक पक्ष अपनी हार महसूस करेगा और बाद में बवाल होगा। अदालत में लंबित इतने संवेदनशील मसले पर एकतरफा रास्ता बताकर देश के सीरिया में बदल जाने की बात को मीडिया, सरकार और कोर्ट ने न धमकी माना और न कोर्ट की अवमानना।

ऐसा न होना, कोई हैरानी की बात भी नहीं थी। मंडल आयोग के सहारे पिछड़ों के सामाजिक-राजनीतिक उभार के दिनों में संघ परिवार ने अयोध्या मसले पर तूफान खड़ा कर दिया था। तब से लेकर आज तक संघ परिवार के नेताओं के जिनमें भारतीय जनता पार्टी के वे नेता भी शामिल हैं जो संवैधानिक सरकारों में शामिल रहे हैं, के बयानों के सलसिले को भी देखिए। संघ परिवार ने हमेशा इस मसले को आस्था का सवाल कहकर अदालत से ऊपर कहा। बाबरी मस्जिद विध्वंस को याद कीजिए, यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वयंसेवक कल्याण सिंह की सरकार की तरफ से दिए गए हलफनामे को याद कीजिए, लंबे खूनी अभियानों के बाद बाबरी मस्जिद गिराने में शामिल संघ और भाजपा के नेताओं के चेहरों को याद कीजिए और संविधान और कोर्ट की पवित्रता में उनके विश्वास का आकलन कीजिए।

अफसोस की बात यह है कि केंद्र में व अधिकांश राज्यों में सरकारें आने और देश में अपराजेय सी शक्ति जैसी छवि बन जाने के बाद संघ परिवार के ऐसे अभियानों में और तेजी आई है जो यह संदेश देते हैं कि वह देश के संविधान से ऊपर की चीज है। भाजपा सरकार के कामकाज में भी लगातार संविधान के घोषित-अघोषित मूल्यों की उपेक्षा होती रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खुलेआम मखौल बनाने की बाकायदा मुहिम चलाए जाने का उदाहरण तो दीवाली के मौके पर भी देखने का मिला। संघ परिवार से जुड़े संगठनों के आम कार्यकर्ताओं के फेसबुक और वॉट्सएप संदेशों की बात जाने दीजिए, जिम्मेदार संवैधानिक पदों पर बैठे कई जनप्रतिनिधियों तक ने सार्वजनिक रूप से इस आदेश पर सवाल खड़ा करने वाली बातें कीं।

भगवा गमछे पहने लोगों ने खुद को क्खआजाद हिंद फौज का कार्यकर्ता बताकर सुप्रीम कोर्ट के सामने ही पटाखे चलाए और दावा किया कि पटाखों की बिक्री पर रोक है, चलाने पर नहीं। न इसे कोर्ट की अवमानना बताया गया और न संविधान की पवित्रता पर आंच की आशंका जताई गई। वजहें साफ थीं। एक तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बहाने भी हिंदुओं में उन्माद पैदा करने का मौका हाथ लग गया था। दूसरे देश की दूसरे संवैधानिक इदारों की तरह सुप्रीम कोर्ट को भी खुला संदेश दिया जा रहा था। संवैधानिक संस्थाओं के प्रति देश के नागरिकों के विश्वास को भी ठेस पहुंचाई जा रही थी ताकि वे बिना कोई चू-चपड़ किए उनके रहमोकरम पर जीना सीख लें।

अब जरा उन अधिकतर क्खौर राजनीतिक लोगों-पत्रकारों आदि की फेसबुक दीवारों को पीछे की तरफ स्क्रॉल कीजिए जो एकाएक सुप्रीम कोर्ट की अवमानना को लेकर चिंतित हो रहे हैं। आप उन्हें संवैधानिक मूल्यों पर खुलेआम हमलों के मामलों में या तो चुप पाएंगे या हमलावरों की जुबान बोलते हुए। यह बताने का मकसद हरगिज यह साबित करना नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश या संशोधन को लेकर असहमति जताने का रास्ता सिर्फ सड़कों पर झंडे-डंडे लेकर निकल पड़ना है। लेकिन, यह बताना मकसद जरूर है कि संवैधानिक संस्थाओं को बेमानी करने, लोकतांत्रिक रास्तों को संदिग्ध बनाने, कमजोर तबकों को असहाय महसूस कराने के खेल निरंतर बड़े पैमाने पर खेले जा रहे हैं और कथित पढ़ा-लिखा वर्ग भी इसमें शामिल है।

ऐसे माहौल में यह समझना होगा कि दलितों के बिना किसी बड़े राजनीतिक दल के आह्वान के इस तरह सड़कों पर निकल आने की वजह सिर्फ एससी-एसटी एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस नहीं थीं। गुजरात से लेकर यूपी तक, एमपी से लेकर हरियाणा तक और देश के विभिन्न हिस्सों में बस्तियों से लेकर शिक्षा संस्थानों तक दलितों में अपने अधिकारों के हनन और अत्याचार की घटनाओं पर सरकारों के रुख को लेकर भारी निराशा और बेचैनी मौजूद थी।

जहां तक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का प्रश्न है तो संविधान विशेषज्ञों का एक मत यह भी है कि जिस मामले में स्पष्ट रूल मौजूद हो, उसमें गाइडलाइंस देना सीमाओं का अतिक्रमण है। एनडीटीवी पर रवीश कुमार से बातचीत में संविधान विशेषज्ञ फ़ैज़ान मुस्तफ़ा ने इस बारे में विस्तार से रोशनी भी डाली और कहा कि केंद्र सरकार का घोषित रुख भी यही है। दलितों और स्त्रियों दोनों की गरिमा की रक्षा के लिए बने कानूनों के दुरुपयोग के आरोपों के बावजूद तल्ख सचाई यह है कि इन सर्वाधिक वंचित तबकों के लिए न्याय पाना टेढ़ी खीर रहा है। दोनों ही मामलों में कोर्ट की आपत्तिजनक टिप्पणियां और निराशाजनक फैसले भी मौजूद हैं। ऐसे में संविधान विशेषज्ञ भी मानते हैं कि दलित और स्त्री उत्पीड़न के मसलों में तत्काल एफआईआर दर्ज न किए जाने का प्रावधान निराशा को बढ़ाने वाली बात है।

लेकिन, फिर वही सवाल है कि क्या लोकतंत्र में किसी असहमति या विरोध के लिए हिंसक-उग्र प्रदर्शन जायज हैं। 2 अप्रैल के बंद के दौरान हुई व्यापक हिंसा और आगजनी के बाद यह सवाल दलितों से पूछा जा रहा है। बेशक, कोई भी हिंसा या उपद्रव किसी भी तर्क से उचित नहीं है। इसमें भी कोई शक नहीं होना चाहिए कि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक संस्थाओं को संविधान के अनुकूल आचरण करना चाहिए और ताकतवर तबकों का नहीं बल्कि वंचितों व अल्पमत वाले तबकों के विश्वास को सुनिश्चित रखना चाहिए। अब जरा देश के हिंसक आंदोलनों और उपद्रवों के इतिहास को देखें तो हम पाएंगे कि ताकतवर तबकों ने जब चाहा, तब लोकतंत्र को रेल की पटरियों और सड़कों की तरह जाम कर दिया और जब चाहा ट्रैफिक को बहाल कर दिया। दलितों-अल्पसंख्यकों की बस्तियां फूंकने वालों, दलितों के वोटों पर डाका डालने वालों, छुआछूत करने वालों, हत्यारों और बलात्कारियों तक की हिमायत में लामबंदी की गई।

आरक्षण विरोध के नाम पर सड़कों और अस्पतालों को ठप कर दिया गया। सरकारों ने उन्हें संरक्षण दिया और मीडिया ने उनके कसीदे काढ़े। यहां तक कि हम ऐसे दौर में चले आए जहां सत्ताधारी पार्टी के सहयोगी संगठनों के लोग खुलेआम हत्याओं के आह्वान करते हों, तलवारें लहराते हुए दंगे कराते घूमते हों, संवैधानिक पदों पर बैठे लोग आततायियों के हौसला बढ़ाने वाले बयान देते हों और सोशल मीडिया से लेकर सार्वजनिक चौराहों तक पर अश्लील व हिंसक आह्वान किए जाते हों। तो क्या यह सवाल नहीं बनता है कि ये कौन लोग हैं जो अराजकता और उपद्रव पर ही फल-फूल रहे हैं और हिंसा व दंगों की आड़ में जनता के लोकतांत्रिक आधिकारों का हनन किए जाते हों और देशी-विदेशी कॉरपोरेट को सौंपते हों?

तो क्या ऐसे तत्व वाकई 2 अप्रैल को हुए उपद्रव को लेकर चिंतित हैं या इस उपद्रव में उनकी भी कोई भूमिका थी? प्रदर्शनकारी भीड़ों का चरित्र अमूमन मर्दवादी रहता आया है। दलितों की भीड़ का चरित्र ऐसा नहीं रहा होगा, इससे इंकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन, यह भी गौरतलब है कि अनेक जगहों पर प्रदर्शन शांतिपूर्ण भी रहे और सामाजिक न्याय के सवालों पर लिगेसी रखने वाले लोग भी इनमें शामिल हुए। कुछ सवालों में एक सवाल यह है जो भाजपा समर्थक और विरोधी दोनों ही अपनी-अपनी जगह से पेश कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा हिंसा भाजपा शासित राज्यों में ही क्यों हुई। भाजपा समर्थित लोगों का मानना है कि भाजपा सरकारों को परेशानी में डालने और बदनाम करने के लिए हिंसा पूर्व नियोजित थी। लेकिन, सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों के इस सवाल के साथ लगे दुमछल्लों और उनकी दूसरी पोस्ट्स को देखें तो दलितों के प्रति उनकी हिकारत भी छलकती मिलती है।

भाजपा विरोधी लोग इसी सवाल को पेश करते हुए तर्क दे रहे हैं कि भाजपा शासित राज्यों में बंद और प्रदर्शन के मद्देनजर जरूरी इंतजामात नहीं किए गए थे। स्थिति को बिगड़ने दिया गया, दमन किया गया और फायरिंग खोल दी गई। इन लोगों का कहना है कि हाल-फिलहाल में ही रामनवमी के जुलूसों और कई दूसरे मामलों में उपद्रवियों पर पुलिस ने फायरिंग या बल-प्रयोग न करने के लिए यह तर्क दिया कि इससे लोगों की जान की ज्यादा क्षति होती। बंद समर्थक प्रदर्शनकारियों से टकराव करने वाले कहीं कुछ सवर्ण संगठनों और कहीं बजरंग दल आदि के कार्यकर्ताओं को भी संरक्षण के आरोप लगाए जा रहे हैं। सवाल यह भी उठाए जा रहे हैं कि हिंसा व उपद्रव में दलितों की जानें गईं और उन्हें ही हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है लेकिन सवर्ण संगठनों और बजरंग दल कार्यकर्ताओं के हिंसक टकराव में शामिल होने पर मीडिया चुप्पी साध गया है।

आंदोलन समर्थक लोग ऐसी कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। कुछ और सवाल भी चर्चाओं में हैं। मसलन, आरएसएस के एक पदाधिकारी ने इस बात पर हैरानी जताई है कि संघ को दलित विरोधी बताया जा रहा है और कहा है कि संघ का इस प्रकरण से कोई लेना-देना है। दलित व ओबीसी बुद्धिजीवियों की फेसबुक दीवारों पर यह सवाल उठ रहा है कि दलितों के बंद के विरोध में बजरंग दल कार्यकर्ताओं को दिक्कत क्यों महसूस हुई। सोशल मीडिया पर एक पाठ इस पूरे मामले को दलितों के निर्णायक उभार के रूप में देखने का भी है। लेकिन, इस पूरे प्रकरण से दलितों को लेकर ही कई चिंताएं और आशंकाएं सामने हैं। जब भी उन्होंने अन्याय का सामूहिक प्रतिरोध किया, उन्हें भयानक प्रतिहिंसा झेलनी पड़ी है। लोकतंत्र के संकट के साथ दूसरे वंचित तबकों की तरह उनकी असुरक्षा बढ़ रही है और उनका गुस्सा व निराशा भी। सवाल यह है कि लोकतंत्र से जुड़े दलितों के सवाल और दूसरे सामाजिक न्याय के संघर्षों की रणनीति क्या होनी चाहिए।

दलितों के आक्रोश का अनुमान नहीं था तो आप शुतुरमुर्ग हैं, या फिर दंगा फैलाने की अपनी ताकत का इतना गुमान है कि आपने इस तरफ ध्यान नहीं दिया!

दरअसल मायावती को उत्तर-प्रदेश के चुनाव में सीट नहीं मिलने के बाद और रामविलास, उदितराज और आठवले को खरीदकर आपको लगा कि आपने दलित आन्दोलन को निगल लिया है आपके आसपास के लग्गू-भग्गू और करीबी intelligent-sia भी आपको यही विश्वास दिलाती रही। तकनीकी बातों में मत उलझाइए। ये कहने का कोई मतलब नहीं है कि आन्दोलनकारी सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जरवेशन का सही मतलब समझकर निकले थे या नहीं। यह गुस्सा एक दिन का नहीं है। आखिर किस ठिठाई से और किसकी शह आर केन्द्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े संविधान बदलने की बात करता है। किसकी शह पर वह दलितों के लिए अपमानजनक भाषा बोलता है। अनंत कुमार हेगड़े आज भी केन्द्रीय मंत्री है। उसपर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

किसकी शह पर उत्तर-प्रदेश का मुख्यमंत्री अजय सिंह विष्ट दलित नेता चन्द्रशेखर को जमानत मिलने के बाद जेल में रखने का हौसला दिखाता है? किसकी शह पर चंदशेखर पर राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून की धारा लगाता है? किसकी शह पर यह हो रहा है कि हत्यारे बर्बर शम्भुलाल रैगर की शोभायात्रा निकलती है और एक दलित युवक को घोड़ी आर चढ़ने के लिए मुँह कुचल कर मार दिया जाता है। किसकी शह पर चंदशेखर पर राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून की धारा लगाता है? बंद के दौरान हिंसा हुई है और लोगों की जानें गई हैं क्योंकि प्रशासन और सरकार को इस गुस्से का अंदाज नहीं था। यह पूरी तरह से प्रशासनिक असफलता है।

आज हिंदुत्व के नकली रंग में रंगे सवर्ण हिंदुत्ववादी सियारों के रंग उतरने का दिन है।

सवर्णो, अभी भी चेत जाइए। कल तक आपको लग रहा था कि आपके पास बहुसंख्यकों की ताकत है और मुसलमान अल्पसंख्यक हैं। एक ही दिन में आपको अपने अल्पसंख्यक होने का अहसास हो गया और क़ानून के शासन की याद आने लगी?

लगेगी आग तो आएँगे घर कई ज़द में
यहाँ पे सिर्फ़ हमारा मकान थोड़ी है

दलित एक्ट को लेकर ग़लतफ़हमी क्यों?

विजय शंकर सिंह, पूर्व पुलिस अधिकारी

सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से दलित एक्ट के बारे में गाइड लाइन जारी की है वह बड़ी अटपटी ओर भ्रम अधिक फैलाने वाली हैं, जो बातें पहले से स्पष्ट है उसे फिर से रिपीट किया गया है, और केंद्र की भाजपा सरकार ने इस निर्णय के संबंध में पुनर्विचार याचिका दायर कर मामले को ऐसा बना दिया है जिससे शक पैदा होता हैं कि जरूर कोई गलत बात हुई है।

हिंसा की घटनाओं पर छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष ने युवाओं की एक चर्चा में कहा कि, विरोध प्रदर्शन से पहले एक एक व्यक्ति को अपनी समझ से एक लिस्ट बनानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कौन सी लाइन हटाने और एक्ट को कठोर/ प्रभावी बनाने के लिए कौन से नए प्रावधान जोड़ने चाहिए? ठोस कार्यनीति बनाने की ओर बढ़ें। जोश में हवाई बातें/काम करने से समाज का हित नहीं।

सुप्रीम कोर्ट के एससी एसटी एक्ट के फ़ैसले पर पक्ष और विपक्ष अपने अपने मन से राजनीतिक दांव खेल रहे हैं।

गिरफ्तारी विवेचना का एक अंग है। गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती यह पुलिस का विधि प्रदत्त अधिकार है जो उसे दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्राप्त है। उन मानस में यह धारणा बैठ गयी है कि उधर उन्होंने थाने में मुक़दमा लिखवाया नहीं कि दरोगा जी ने मुल्ज़िम को हवालात की राह दिखाई। लेकिन कानून ऐसा नहीं कहता है।

मुक़दमा लिखाने या एफआईआर दर्ज कराने के बाद उस मामले की विवेचना शुरू होती है और सुबूत आदि एकत्र किये जाते हैं। गिरफ्तारी भी उसी विवेचना का एक अंग है। तत्काल गिरफ्तारी हो, पहले गिरफ्तारी हो, आदि आदि बातें प्रशासनिक आवश्यकता के कारण भले होती हैं पर कानून में यह कहीं नहीं लिखा है कि मुक़दमा लिखाते ही मुल्ज़िम जो धर पकड़ लिया जाय।

गिरफ्तारी के बारे में सुप्रीम कोर्ट का ही यह मंतव्य भी पढ़ लिया जाय जो इसी फैसले में दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार,

" While registration of FIR is mandatory, arrest of the accused immediately on registration of FIR is not at all mandatory. In fact, registration of FIR and arrest of an accused person are two entirely different concepts under the law, and there are several safeguards available against arrest.Moreover, it is also pertinent to mention that an accused person also has a right to apply for "anticipatory bail" under the provisions of Section yx} of the Code if the conditions mentioned therein are satisfied. Thus, in appropriate cases, he can avoid the arrest under that. "

अब अदालत के फैसले के इस अंश को भी पढ़िये- " We are of the view that cases under the Atrocities Act also fall in e&ceptional category where preliminary inquiry must be held. Such inquiry must be time-bound and should not e&ceed seven days in view of directions in Lalita Kumari (supra)."

इसके बारे में कहना है कि,

पहके प्राथमिक जांच की जाय फिर के बाद ही एफआईआर दर्ज होने के निर्णय का तो बहुत ही दुरुपयोग होगा। असरदार लोगों के खिलाफ तो एफआईआर ही दर्ज नहीं हो पाएगी। फिर प्राथमिक जांच जिस प्रार्थना पत्र पर शुरू होगी कानून के अनुसार वही प्रथम सूचना हो जाएगी। फिर प्राथमिक जांच का एक प्रावधान इस एक्ट के और दुरुपयोग को भी बढ़ाएगा, और साथ ही साथ इस एक्ट के जो सच मे भुक्तभोगी होंगे वे और पीड़ित होंगे।

दो कानूनों का दुरुपयोग बहुत हुआ है। एक तो दहेज निषेध अधिनियम और 498 आईपीसी का और दूसरा एससीएसटी एक्ट का। एससीएसटी एक्ट का दुरूपयोग सवर्ण जाति के लोगों ने दलितों को सामने कर के अपनी दुश्मनी साधने के लिये भी कम नहीं किया है। यह एक्ट जब बना था तभी यह प्राविधान रखा गया था कि इस अभियोग की विवेचना डीएसपी स्तर का अधिकारी करेगा। डीएसपी स्तर के अधिकारी को विवेचक बनाने के पीछे दो तर्क थे, एक तो विवेचना गंभीरता से होगी क्यों कि थाने के विवेचक के पास काम बहुत होता था, और डीएसपी स्तर का अधिकारी मामले की वास्तविकता को तह में जा कर बिना किसी दबाव के इसे निपटाएंगे।

हमने खुद कई विवेचनायें की हैं और दुरूपयोग की बात भी कुछ विवेचनाओं में मिली है मैंने अपने सेवाकाल के दौरान ऐसे भी उदाहरण पाये हैं जब विपक्षी को केवल फंसाने की नीयत से उसके परिवार के किसी प्रतिभावान छात्र को या जसि कोई नौकरी मिली हो उसे संकट में डालने के लिये मुल्ज़िम के रूप में उनके नाम लिखा दिये गये हैं। दुरूपयोग रोकने के लिये ही ऐसी विवेचनाओं में सभी तथ्यों की पड़ताल की जाती है और यह भी देखा जाता है कि एक्ट की मंशा कि जातिगत आधार पर उत्पीड़न हुआ है या नहीं अथवा जाति के आड़ में यह दुश्मनी साधने का खेल है। जब सुबूत मिल जाते हैं तभी गिरफ्तारी होती है। कभी कभी सुबूत घटनास्थल पर जाते ही मिल जाते हैं तो तुरंत गिरफ्तारी भी हो जाती थी।

सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के बारे में एक और अहम फैसला पहले दिया था। उसके अनुसार सात साल से कम सज़ा के मामले में गिरफ्तारी न हो। यह फैसला सुनने में तो बहुत ठीक लगेगा पर व्यवहारिक रूप से इस से अपराध नियंत्रण में इससे दिक़्क़तें आएंगी। एससीएसटी एक्ट में भी सुप्रीम कोर्ट को गिरफ्तारी पर किसी भी नए निर्देश की ज़रूरत नहीं थी। यह फैसला भी मेरी समझ मे बिना किसी ज़रूरत के ही दे दिया गया है। गिरफ्तारी कब हो, किसकी हो, क्यों हो, क्यो न हो, यह काम पुलिस के विवेचक का है। अगर विवेचक गलती करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिये वरिष्ठ अधिकारियों का तंत्र है। खुद एक्ट में ही यह प्राविधान है कि विवेचक के खिलाफ भी इसी एक्ट की धाराएं लगायी जा सकती हैं।

सरकार ने राज्य स्तर पर विशेष जांच विभाग, जिला स्तर पर विशेष जांच, राज्य और केंद्र के अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के गठन कर रखे हैं। यह सब विभाग इस एक्ट के दुरुपयोग होने और एक्ट को नज़रअंदाज़ करने पर कार्यवाही कर सकते हैं और करते भी हैं। लेकिन महज़ दुरुपयोग के आरोपों के आधार पर कोई कानून न तो रद्द हो सकता है और न ही उसे शिथिल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय में कि तत्काल गिरफ्तारी न हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि शोर मचाया जाय। कोई भी सरकार या अदालत यह कैसे कह सकती है कि तुरन्त गिरफ्तारी की जाय। तुरन्त गिरफ्तारी जैसा शब्द केवल धारा 151 सीआरपीसी जो शान्ति भंग की आशंका में होती है, की जाती है।

मुकदमों में गिरफ्तारी जब भी होगी विवेचना के दौरान जो सुबूत मिलेंगे उसी के आधार पर होगी और होनी चाहिये। बिना सुबूतों की गिरफ्तारी पर अदालतें नाराज़गी भी ज़ाहिर करती हैं और विवेचक बहुधा दण्डित भी होते हैं। कानून का पालन कानून के अनुसार ही होना चाहिये। चाहे एससीएसटी एक्ट हो या कोई भी अधिनियम, यह पुलिस के विवेचक को ही तय करना है कि वह कब, किसे, कहाँ और क्यों गिरफ्तार करे पर गिरफ्तारी का यह फैसला भी उसे सुबूतों के ही आधार पर करना है न कि स्वेच्छाचारी तरीके से।

अवैध निर्माणों की रिश्वत के भाव बढ़े : चोर-उचक्के चौधरी, लुडीरन प्रधान वाली कहावत चरितार्थ

फ़रीदाबाद (म.मो.) चोर-उच्चके चौधरी, लुंडीरन प्रधान वाली कहावत बडखल विधानसभा प्रोपर्टी डीलर एसोसिएशन के प्रधान नरेश चावला उर्फ़ (कटोरा)व उसके गिरोह पर बिल्कुल सटीक बैठती है।

पिछले दिनों नरेश चावला व उसके बिल्डर साथियों ने एक योजना बना कर प्रोपर्टी डीलर एसोसिएशन का गठन किया व उसका प्रधान नरेश चावला को बनाया। यहां पाठकों को बता दें कि चावला के इस गिरोह में शहर के बिल्डरों के साथ-साथ ऑन लाइन कैसिनो का धंधा व सरकारी जमीनों पर कब्ज़ा कर अवैध निर्माण बनाने वाले सारे शहर के 'मौजिज' बिल्डर लोग शामिल हैं।

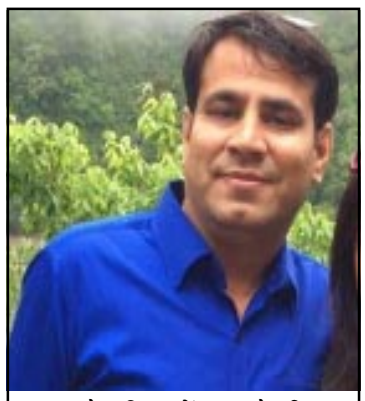

अवैध बिल्डरों का चौधरी नरेश चावला

एसोसिएशन की आड़ में इस गिरोह के कई और भी धंधे हैं जिनका नेतृत्व नरेश चावला बखूबी निभाता है। इस गिरोह में दो-चार बिल्डर ऐसे भी हैं जिन्होंने मार्केट का काफ़ी रुपया भी देना है। अगर लेनदार इन बिल्डरों से तकाजा करता है तो ये बिल्डर उसके साथ मार-पीट करने पर उतारू हो जाते है। ऐसे में प्रधान चावला उन पर पूरे गिरोह के साथ सम्बन्धित थाने में पहुंच कर पुलिस अधिकारी पर अपना दबाव बना कर उल्टा रुपया लेने वाले पर ही मार-पीट करने का आरोप लगाकर फ़ैसला करवा देता है।

इसी गिरोह में कई फ़र्जी पत्रकार भी शामिल हैं। जो नरेश चावला के फ़ोन पर थाने व चौकियों में पहुंच कर पुलिस अधिकारियों पर दबाव बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ़ इस गिरोह ने अपनी एसोसिएशन को योजना बनाकर रजिस्ट्रेशन करवा कर अगामी लोकसभा व विधानसभा चुनावों में भी नेताओं से रुपया ऐठने का मन भी बना लिया है।

यहां पाठकों को बता दें कि इस एसोसिएशन में ज़्यादातर प्रोपर्टी डीलर रजिस्टर्ड भी नहीं हैं। एनएच 5 के हर गली मोहल्ले में इनके अवैध निर्माण जारी हैं। एनआईटी 5 के एम ब्लॉक व केसी रोड पर भी प्रधान नरेश चावला व उनके मिलने वालों के अवैध निर्माण धड़ल्ले से जारी है।

सूत्रों अनुसार इन अवैध निर्माणों में वार्ड नम्बर 14 के पार्षद सरदार जसवंत सिंह ने अभी हाल ही में बिल्डरों व नरेश चावला से सैटिंग कर अवैध निर्माण बनाने की खुली छूट भी दी है।

अपने शुरूआती दौर में नरेश चावला एक कबाड़ी था व उसके बाद नीलम बाटा रोड पर स्थित महालक्ष्मी होटल के मालिक प्रेम के सम्पर्क में आते ही के सी रोड पर इससे लाटरी बाजार कई वर्ष तक चलाया व उसके बाद थाना प्रभारी अनिल कटारिया के साथ मिल कर कई मोटी दलाली के काम कर आज प्रोपर्टी डीलर एसोसिएशन का प्रधान बना है।

एसआरएस ग्रुप के चेयरमैन.....

पेज एक का शेष

गाने का शौकीन था अनिल जिंदल

एसआरएस ग्रुप का चेयरमैन अनिल उस महीने में कम से कम दो-तीन बार गाने की महफिल सजाता था। दिल्ली में रहने वाली एक प्रोफेशनल गायिका को जिंदल ने वेतन पर रखा हुआ था। बाद में वह उस गायिका को ही गाने के तरीके समझाने लगा और खुद गाकर बताता था कि किस तरह वह अपना सुर ताल ठीक कर सकती है। उस गायिका के एक एक बोल पर वह महफिल में पैसे लुटाता था। जिंदल से जुड़े प्रॉपर्टी डीलर, रियल्टी सेक्टर के अन्य दलाल, पुलिस व प्रशासनिक अफसर, छुटभैये नेता उन महफिलों की शोभा बढ़ाते थे।

बैंकों से ठगी का एक जैसा पैटर्न

चाहे वह रोटोमैक कंपनी द्वारा की गई ठगी हो या फिर विडियोकॉन के मालिक द्वारा बैंकों को लगाया चूना शामिल हो या फिर एसआरएस ग्रुप द्वारा बैंकों से लोन लेकर अमीर बनने की कहानी हो, सभी घोटालों में एक जैसा पैटर्न है। बैंक फ्रॉड के जितने भी मामले अभी तक खुले हैं, उनमें तमाम फर्जी धन्ना सेठों ने शेल कंपनियां बनाईं। इनके नाम पर बैंक लोन लिया। इन्हीं शेल कंपनियों में से एक दूसरे कंपनी को बैंक गारंटी भी देते रहे। यह पैटर्न हर जगह और तमाम शहरों में अपनाया गया। इसका निचोड़ यह निकलता है कि बैंकों के बड़े अफसरों ने या तो यह रास्ता दिखाया या फिर देश के बड़े चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ने तमाम घोटालेबाजों को ऐसा कर पैसा कमाने की सलाह दी।

बैंकों से करोड़ों के लोन चुटकियों में लेने का खेल इतना आसान नहीं है। यह तभी संभव है जब आपकी राजनीतिक सेटिंग बहुत हाई लेवल पर हो और आप बैंकों के बड़े अफसरों को मोटा पैसा खिला सकें। यही काम देश से फरार हो चुके विजय माल्या, मेहुल चौकसी और नीरव मोदी ने किया और यही काम अनिल जिंदल ने भी किया। इन सभी ने सत्ता से करीबी बनाई, बैंक अफसरों को रिश्वत से लेकर सुरा सुंदरी तक पहुंचाई और रातोंरात अमीर बन बैठे।

एस.सी.-एस.टी एक्ट दलितों का नहीं शासकों का हथियार है

सतीश कुमार, सम्पादक मजदूर मोर्चा

यह सच्चाई मुझ से बेहतर कौन जान सकता है? दिनांक 5 अक्तूबर 2002 की शाम करीब 7-8 बजे जब मैं सेक्टर 12 स्थित खेल परिसर में चल रहे पुस्तक मेले से अपने स्कूटर पर सवार होकर निकल रहा था तो तत्कालीन चौटाला सरकार एवं एसपी फरीदाबाद रणबीर शर्मा के आदेश पर डीएसपी थावर सिंह ने भारी पुलिस बल के साथ मुझे घेर लिया और उठा कर सीधे थाना सेंट्रल में ले गया।

वहां थावर सिंह नायब रीडर हवलदार रमेश के झूठे बयान पर मेरे विरुद्ध एस.सी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा नम्बर 813 दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया। अगले दिन ड्रयूटी मैजिस्ट्रेट सुकरमपाल ने बिना कुछ सुने दो सप्ताह के लिये मुझे सोनीपत जेल भेज दिया। बाद में ज़िला बार एसोसिएशन (वकीलों) की पैरवी से अतिरिक्त सैशन जज ने जमानत मंजूर कर ली। मात्र दो सप्ताह की जेल यात्रा करके मैं बाहर आ गया।

सुनवाई करने वाले स्पेशल अतिरिक्त सैशन जज ने मुझे रिहा करते हुए पुनः तफ़्तीश करने के आदेश दिये। इस बीच जनता ने चौटाला का तख्ता पलट दिया। न रणबीर शर्मा एसपी रह पाये न थावर डीएसपी रह गये थे। अब तफ़्तीश तत्कालीन डीएसपी बदन सिंह राणा से कराई गयी। थावर सिंह द्वारा खड़े किये गये तमाम गवाह, एसएचओ सेंट्रल रणधीर सिंह समेत तमाम पुलिस वालों ने मेरे हक में बयान देते हुए केस को झूठा दर्ज होना बताया। लिहाजा मुकदमा रद्द करके अदालत में भेज दिया गया।

तत्कालीन एसी जेएम बुद्धि दिवाकर ने शिकायतकर्ता हवलदार रमेश को कई बार बुलाया। उसके न आने पर पुलिस रिपोर्ट पर अपनी अन्तिम मुहर लगाकर एफ़आईआर रद्द कर दी। इसके बावजूद न्यायपालिका का ड्रामा देखो जो अब तक बतौर शिकायतकर्ता रमेश बतौर प्राइवेट शिकायत डाल केस को घसीटे जा रहा है।

संदर्भवश पाठक जान लें कि चौटाला सरकार ने एसपी. रणबीर शर्मा के द्वारा डीएसपी थावर व हवलदार रमेश (दोनों चमारों) को मोहरा बना कर एससी-एसटी एक्ट का घोर दुरुपयोग किया था और इस बेकसूर पत्रकार को मुफ़्त में 2 सप्ताह की जेल यात्रा करा दी थी। इस केस में जमानत भी महज 2 सप्ताह में इस लिये हो पाई थी क्योंकि ज़िले के सारे जज साहेबान अगस्त 2001 से देख रहे थे कि चौटाला सरकार के इशारे पर रणबीर शर्मा (हत्या सहित) मेरे विरूद्ध 5 झूठे मुकदमे पहले भी दर्ज करा चुका था। इस लिये वे पुलिस फ़ाइलों की झूठ से पूर्णतया वाकिफ़ थे।

एस सी/एसटी एक्ट के तहत इसी तरह के अनेकों झूठे केस आये दिन देखने को मिलते हैं। सचमुच का पीड़ित दलित बेशक रोज़ाना गांव के दबंगों से प्रताड़ित होता रहे कोई उसकी सुनवाई नहीं करता। हां, जहां राजनेता, प्रशासन अथवा किसी से बदला लेने की बात हो तो ही एससी/एसटी रूपी इस हथियार का बेहद सटीक दुरुपयोग होता है।

सुप्रीम कोर्ट के इस एक्ट पर हालिया फ़ैसले को लेकर जिस तरह पक्ष और विपक्ष ने तुमार बांध रखा है, ऐसी कोई बात है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट तो 1996 में कही अपनी उसी बात को तो दोहरा रही है कि बिना सबूतों के किसी को नाजायज गिरफ़्तार न किया जाय, जैसे 2002 में मुझे किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की इतनी कमजोरी जरूर है कि उसके आदेशों की खुली उल्लंघना करने वालों को वह उचित 'प्रसाद' नहीं देती। यदि इस तरह से उल्लंघन करने वाले 2-4 अफ़सरों को ठीक-ठाक सा प्रसाद मिल जाता तो मौजूदा आदेश देने की कोई जरूरत ही न पड़ती।

मेरे केस में गौरतलब यह भी है कि शिकायतकर्ता खुद एक पुलिस अफ़सर है। दलित जाति से बेशक हो, उसे सरकार ने लाठी व बंदूक के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता से भी लैस कर रखा है। इतना सब होने के बावजूद भी कोई दलित कैसे हो सकता है?

संबंधित खबरें पेज दो पर

भीड़ बहुत अच्छी है, अगर आपके पक्ष में खड़ी हो, भीड़ बहुत बुरी अगर आपके खिलाफ हो!

भीड़ जब आपके लिए लाठी और त्रिशूल भांजे तो आप अट्टाहास करते हैं। भीड़ जब आपके खिलाफ भारत बंद करवाने पर उतारू हो जाये तो आपके देश को होने वाले आर्थिक नुकसान की चिंता सताने लगती है।

दलितों के भारत बंद ने भारतीय राजनीति और समाज की कुछ भयावह सच्चाइयों को उजागर किया है। पहली बात यह कि संगठित आक्रमकता ही अपनी बात मनवाने का एकमात्र और स्वीकृत तरीका है।

याद कीजिये तमिलनाडु आकर जंतर-मंतर पर धरना दे रहे किसानो को। गले में खोपड़ी की माला, मुंह में मरे चूहे दबाये। पेशाब पीकर अपनी हालत बयान करते किसान। आंदोलन पूरी तरह अहिंसक था। राष्ट्रीय मीडिया पर कवरेज शून्य था। सोशल मीडिया पर लोग तालियां पीट-पीटकर हंस रहे थे। किसान कई दिनों तक बैठे रहे और फिर वापस चले गये। उनकी मांगों का क्या हुआ किसी को पता नहीं है।

अब जाटों के आरक्षण आंदोलन को लीजिये। बस जलाई गईं। निर्दोष राहगीरों की हत्या की गई। बलात्कार तक के मामले सामने आये। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने फौरन जाट भाइयों को बातचीत का न्यौता दिया। आश्वसान दिया गया कि सारे मुकदमे वापस लिये जाएंगे। उसके बाद यूपी चुनाव के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ऑडियो आया- जाट नेताओं को पुचकारते, ऐतिहासिक संबंधों की दुहाई देते।

हार्दिक पटेल ने गुजरात में हिंसा फैलाई और रातो-रात हीरो बन गया। उसे मनाने की भरपूर कोशिशें हुईं। लेकिन मुकदमों की वजह से वह इस तरह बिदका कि कांग्रेस के पाले में चला गया। इस तरह हार्दिक पटेल देशद्रोही हो गया लेकिन हिंसक पाटीदार आंदोलन से जुड़े उसके जो साथी बीजेपी के साथ आये वे सब देशभक्त हो गये। 21वीं सदी सबसे बड़े गांधीवादी योगी आदित्यनाथ इस देश के नये पोस्टर ब्वाय हैं, जिन्हे हिंदू वाहिनी नाम का एक हथियारबंद दस्ता स्थापित करने का श्रेय जाता है। बाबाजी भारत के पहले ऐसे नेता हैं, जो सांवैधानिक पद पर बैठकर एक्स्ट्रा ज्यूडीशियल किलिंग को सबसे पवित्र काम के रूप में स्थापित कर रहे हैं और वाहवाही लूट रहे हैं। योगी जी पहले ऐसे नेता हैं, जिन्होने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने उपर लगे सारे आपराधिक मामले हटा लिये। दूसरी तरफ दलित नेता चंद्रशेखर आजाद रावण का हाल भी सुन लीजिये। कानूनी दांव-पेंच में फंसाकर लगभग गैर-कानूनी तरीके से जेल में बंद किया गया है और अपाहिज हो चुका है। ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे। क्या चंद्रशेखर आज़ाद रावण की जगह उसका नाम संगीत सोम होता तब भी उसकी यह हालत होती?

मरे हुए जानवर की खाल उतार रहे लोगो की खाल खींच ली जाती है। घोड़ी चढ़ने वालों की गर्दन काट दी जाती है और इस देश की सबसे बड़ी अदालत को लगता है कि एसटीएसी एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। जातिवादी पूर्वाग्रह की जड़े इस देश में कल्पनाओं से भी ज्यादा गहरी हैं।

दलित आंदोलन के दौरान हुई हिंसा देखकर बहुत दुख हुआ। जब आप न्याय की मांग कर रहे हों तो कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि आचरण भी विधिसम्मत हो। हिंसा नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन हिंसा की चिंता इस देश में किसे है? गांधी की तरह चरखा कातते हुए फोटो खिंचवाने वाले प्रधानमंत्री ने समाज में बढ़ रही हिंसा के बारे में कितनी बार क्या बोला है यह याद कर लीजिये और याद आ जाये तो मुझे भी बता दीजियेगा।

- राकेश

नूर और अला, दो बहनें : सीरिया युद्ध के मासूम शिकार

बहनों ने 6 दिन पहले मदद मांगी थी।
रेडक्रॉस की टीम घोउटा से इदलिब लेकर आई
5 माह के 273 ट्वीट का मजमून
हम हर पल यहां मर रहे हैं, जिंदगी तहखानों में
दफन हो रही, कोई तो इसे रोके

हम नूर और अला हैं। 10 और 8 साल के हैं। घोउटा में रहते हैं। जो कुछ हम यहां देख रहे हैं वो युद्ध है। हम खेलना चाहते हैं। स्कूल जाना चाहते हैं और शांति से रहना चाहते हैं। हर दिन बमबारी, बमबारी और सिर्फ़ बमबारी...। हमें प्लेन से नफ़रत है। ये रोज़ाना बच्चे को मार रहे हैं। हमें आश्चर्य होता है कि इस बार कोई कुछ नहीं बोल रहा है। दो साल का करीम अपनी दादी और पापा के साथ रहता है। दो दिन पहले हुई बमबारी में उसने पापा को खो दिया। बमबारी के चलते स्कूल बंद है। आज 45 दिन हो गए हैं। बच्चे तहखानों में रहने को मजबूर हैं। लेकिन ये प्लेन तहखानों को भी तबाह कर देते हैं। यहां जिंदगी बद्तर होती जा रही है। बमबारी जीवन का हिस्सा बन चुकी है। हर दिन कोई न कोई दम तोड़ रहा है। मेरे अरबी भाषा के टीचर भी मारे गये। प्लीज कोई इस पागलपन को रोके। हमारा घर भी तबाह हो गया। अला जख्मी हो गयी। हमारा घर छूट चुका है और हमारे सपने भी। हम अभी जोबार में है। मैं इस युद्ध को खत्म होते देखना चाहती हूं।

स्मार्ट सिटी की कल्पना

एक स्मार्ट सिटी की कल्पना को जब वास्तविकता का धरातल चाहिए तो इसमें एक ऐसे अस्पताल की कल्पना करती हूं जिसमें पिता की तानाशाही का इलाज मुफ़्त हो सके। और साथ ही इस तानाशाही का शिकार हो चली बेटियों के डिप्रेशन का भी इलाज हो। घरों में आये दिन लड़कियों के सपनों को कत्ल कर दिया जाता है, वहां स्मार्ट सिटी की कल्पना मेरे लिए न केवल कल्पना जगत का शहर है, बल्कि सरकारों की घोषणा वास्तविक ही नहीं लगती।

स्मार्ट शहर में ऐसा विद्यालय चाहिए जहां लड़का-लड़की के भेद को खत्म करके जमीन-जायदाद में बराबरी का हक देने की शिक्षा हो। ताकि मेरी जैसों की आंखे मुख्य सड़कों पर कूड़े के ढेरों को देख सकें और सड़कों के किनारे कहीं तरतीब में खड़ी साइकिलें देखकर मैं बेखौफ़ अपने जीवन का पहिया इस साइकिल में लगा के घूम सकूं। मुझे ऐसा स्मार्ट शहर चाहिए जिसमें इसके सभी नागरिक पान की दुकान पर खड़े होकर न केवल राजनीति की चर्चा करें बल्कि स्वच्छ भारत की कल्पना को हकीकत में बदलने को मजबूत हाथ हों। इस शहर में कुछ छोटे-छोटे पार्क हों जहां युवा प्यार के कुछ पल गुजार सकें और इन पार्कों में किसी भी राजनीति पार्टी के दफ़्तर ना हो, ऐसे पार्कों में किसी राजनीतिक जलसे की इजाजत ना हो, ताकि सड़कों पर कूड़े के ढ़ेर के बजाय बच्चों के खेल के खिलौने, गुब्बारे आराम से मिल सकें।

स्मार्ट सिटी का मतलब सिर्फ यही कचरा हटाना नहीं होता!

-कुसुम, शोध छात्रा

क्या डूबने वाला है आईसीआईसीआई बैंक

मजदूर मोर्चा ब्यूरो/ गिरीश मालवीय

भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक आईसीआईसीआई क्या डूबने की कगार पर है...यह सवाल अचानक पूछा जाने लगा है। इस बैंक की सीईओ चंदा कोचर के नाम लुकआउट नोटिस भारत सरकार ने जारी कर दिया है। चंदा कोचर के पति दीपक कोचर और देवर राजीव कोचर पर भारत की सभी जांच एजेसियां नजर रख रही हैं। चंदा कोचर के साथ साथ विडियोकॉन कंपनी के मालिक वेणु गोपाल धूत के खिलाफ भी लुक आउट नोटिस जारी हुआ है।

अमेरिका में 2008 में जब आर्थिक मंदी आई थी तो उस वक्त वहां का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक - लहमन बैंक - डूब गया था। उसने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया था। आईसीआईसीआई बैंक अगर लहमन बैंक के अंदाज में डूबता है तो सोचिए भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा...भारत में सरकारी बैंक एसबीआई के टक्कर में यह बैंक खड़ा हुआ था। अमिताभ बच्चन से लेकर अंबानी खानदान तक के लोग इस बैंक के डायरेक्टरशिप में रहे या हैं। यानी देश की सबसे सशक्त और रसूखदार लॉबी का हाथ आईसीआईसीआई बैंक के सिर पर है। इसके बावजूद यह बैंक अब डूबने की कगार पर आ खड़ा हुआ है। वजह यही है कि इसने भी इतने बड़े पैमाने पर कर्ज बांटे हैं कि इसकी कमर टूट गई है। प्राइवेट बैंकों में सबसे ज्यादा एनपीए इसी बैंक का है।

पूंजी की लूट में चोर-चोर मौसेरे भाई

भारत में पूंजीवादी व्यवस्था के तहत खड़े किए गए प्राइवेट बैंकों को दरअसल सरकारी और गैर सरकारी पूंजी की लूट के लिए ही खड़ा किया गया था। अल्ट्रा मॉडर्न तकनीक लाकर भारत की आम जनता को घुट्टी में आईसीआईसीआई बैंक के विज्ञापनों के जरिए घुट्टी में पिलाया गया कि यही बैंक है जो आपका ख्याल रखता है। ...जिसकी तकनीक का सहारा लेकर आप कहीं से भी बैंकिग कर सकते हैं। हमारे देखते देखते ही इस बैंक की शाखाएं देशभर में खुल गईं। सरकारी बैंक जहां नहीं पहुंच सके थे, वहां भी इस बैंक की शाखाएं पहुंच गईं। सरकारी बैंकों को ऐसा बना दिया गया या उनकी ऐसी कार्य संस्कृति विकसित होने दी गई कि वहां के बाबू भ्रष्ट होते हैं, कामचोर होते हैं। बैंक यूनियनों ने भी इस कार्य संस्कृति को विकसित होने देने में अपनी भूमिका अदा होने दी। नतीजा यह निकला कि परेशान बैंक ग्राहक प्राइवेट बैंकों की शरण में जाने लगा। चूंकि आईसीआईसीआई पहला प्राइवेट बैंक था तो उसे बाजार में पहले आने का सबसे ज्यादा लाभ मिला। लेकिन ग्राहक नहीं जानता था कि प्राइवेट बैंक उसे लूटने आ रहे हैं और जल्द ही उसे इसके नतीजे भुगतने होंगे।

तकनीक के दम पर जब प्राइवेट बैंकों ने सरकारी बैंकों को पछाड़ दिया और हमें बैंकिंग के मामले में आरामतलब कर दिया तब ये बैंक अपना असली चेहरा लेकर सामने आ गए। हमे रोजाना शर्तें बताई जाने लगीं कि कम से कम दस हजार रुपये आपको बैंक में रखने होंगे। चेक काटोगे तो पैसे भरने होंगे। मामूली गलती पर भी चेक लौटा तो पैसे भरने होंगे। हम एसएमएस भेजेंगे तो हर बार पैसे काटेंगे। आपको पासबुक नहीं मिलेगी...और न जाने क्या-क्या शर्तें बताई जाने लगीं। बैंक के डूबने पर हमारा सिर्फ एक लाख रुपया ही सुरक्षित है, बैंक के डूबने पर आपका बाकी पैसा भी डूब जाएगा। देखिए...कितना घृणित खेल था। हमारा पैसा लेकर पूंजीपतियों को और लोन दिए जा रहे थे। वो लोग पैसे से पैसा कमा रहे थे, प्राइवेट बैंक उनकी मदद कर रहे थे।

कफनचोर सलाहकार

देश में मोदी सरकार के आने के बाद सरकार को लगातार सलाह दी जा रही है कि एसबीआई को छोड़कर बाकी सभी सरकारी बैंकों को प्राइवेट कर दिया जाए। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार अरविंद पानगढ़िया ने हाल ही में पूंजीपतियों के सबसे बड़े अखबार टाइम्स आफ इंडिया में एक लेख लिखकर सलाह दी है कि सरकारी बैंकों को निजी क्षेत्रों को बेच दिया जाए। इसका कारण उन्होंने यह बताया कि सरकारी बैंकों का प्रबंध ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से विजय माल्या, मेहुल चौकसी और नीरव मोदी पीएनबी और एसबीआई को लूटकर फरार हो गए। यह सरकारी बैंकों के प्रबंधन की नाकामी थी जिसकी वजह से यह लोग बैंकों को लूटकर भागे। दरअसल, देश के पूंजीपतियों ने जो मजे प्राइवेट बैंकों की आड़ में लिए हैं, वे उस मजे का स्वाद और बढ़ाने के लिए बाकी बैंकों को भी चट कर जाना चाहते हैं। अरविंद पनगढ़िया का लेख छापने वाले टाइम्स आफ इंडिया से कोई पूछे कि सरकार ने प्राइवेट बैंकों का लाइसेंस जारी करने के समय टाइम्स बैंक के नाम से भी तो लाइसेंस दिया था। देश के कई शहरों में टाइम्स बैंक खुले लेकिन टाइम्स ग्रुप इन्हें चला नहीं पाया। आखिरकार इसे येस बैंक ने खरीद लिया और अब टाइम्स बैंक येंस बैंक के रूप में सामने आ गया।

आईसीआईसीआई का गोरखधंधा

आईसीआईसीआई बैंक का सबसे बड़ा घोटाला पकड़ा गया है पर कोई भी खुल कर के कुछ कहने को तैयार नही है। क्योंकि अरविंद पनगड़िया ओर उर्जित पटेल जैसे अर्थशास्त्रियों की बैंकिंग के बारे में क्समझ की पोल खुलने का पूरा अंदेशा है, दोनों ही खुलकर सरकारी बैंकों के निजीकरण के पक्ष में आ गए थे।

गुरुवार रात आईसीआईसीआई बैंक की प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर के देवर राजीव कोचर को मुंबई हवाई अड्डे पर कस्टम अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया और सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई अब उससे पूछताछ कर रही है।

अब यह खेल समझिए जो चंदा कोचर ने, उनके पति दीपक कोचर ने , विडियोकॉन के मालिक वेणुगोपाल धूत ने और चंदा कोचर के देवर राजीव कोचर ने मिलकर के खेला है।

आपको यहां इस खेल की कोई जानकारी नहीं होगी न ही इसे अभी तक गलत प्रैक्टिस बताता हुआ रिजर्व बैंक का बयान आया है लेकिन अमेरिका में आईसीआईसीआई बैंक की इस हरकत पर ICICI बैंक को क्लास एक्शन कानूनी मामले और एक महंगे सेटलमेंट का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका में आईसीआईसीआई बैंक से सम्बंधित संस्थान के शेयर तेजी से नीचे गिर गए हैं

दरअसल, चंदा कोचर आईसीआईसीआई बैंक को अपने फैमिली बिजनेस की तरह चला रही थीं और यह बात पिछले दिनों ही सामने आ चुकी है कि किस तरह से एक बड़ी इंडस्ट्री यानी विडियोकॉन से चंदा कोचर अपने पति दीपक कोचर की पार्टनरशिप में रिन्यूएबल एनर्जी की एक कम्पनी खुलवाती है फिर एक बहुत बड़ा लोन मंजूर करने की एवज में उस कम्पनी का पूरा अधिपत्य, दीपक कोचर को विडियोकॉन वाले धूत साहब ट्रांसफर कर देते हैं साथ ही उस कम्पनी में करोड़ों का इन्वेस्टमेंट भी कर देते हैं।

लेकिन कहानी यही खत्म नही होती। दो दिनों मे इस कहानी में बहुत बड़ा चेंज आया है और वो चेंज ये है कि एक नए किरदार की एंट्री हुई है और वो है चंदा कोचर के देवर राजीव कोचर ने मिलकर के खेला है।

क्या है चंदा कोचर के देवर का धंधा

राजीव अविस्टा एडवाइजरी ग्रुप नाम की कंपनी चलाते हैं। यह कंपनी बड़ी कंपनियों की बैंकों के साथ लोन रिस्ट्रक्चरिंग में मदद करती हैं यानी जिन इंडस्ट्री का कर्जा लगभग डूब गया होता है उस इंडस्ट्री ओर बैंक के बीच एक प्रकार की मध्यस्थता का रास्ता सुझा देते है, ओर साथ ही उन कंपनियों को नया लोन भी दिलवा देते हैं इस काम को कॉरपोरेट की भाषा मे क्लाइंट्स के कर्ज को रीस्ट्रक्चरिंग के लिए एडवाइस किया जाना बोला जाता है।

एविस्टा एडवाइजरी वो ही कंपनी है, जिसने पिछले 6 साल में सात बढ़ी कंपनियों के 1.7 अरब डॉलर से अधिक के विदेशी मुद्रा और लोन दिलाने में मदद की, और कमाल की बात तो यह है कि इन सभी कंपनियों ने आईसीआईसीआई बैंक से एक ही समय पर कर्ज लिया था। कुछ कम्पनियों के नाम इस प्रकार हैं जयप्रकाश एसोसिएट, जीटीएल इंफ्रा, सुजलॉन औककिर जयप्रकाश पावर आदि। विडियोकॉन भी अविस्ता एडवाजरी का एक बड़ा क्लाइंट है।

जब आईसीआईसीआई बैंक से पूछा गया कि किस बिना पर आपने एविस्ता के राजीव कोचर ओर चंदा कोचर के नजदीकी रिश्तेदार होने पर प्रश्न नही उठाया तो आईसीआईसीआई का कहना था कि कंपनीज एक्ट 1956 और 2013 के तहत पति का भाई रिलेटिव की कैटेगरी में नहीं आता है। इसलिए बैंक इसे गलत नही मानता है।

अब बताइए ये घटिया जवाब किस तरह से गले उतर सकता है। राजीव कोचर भी कह देते हैं कि इसमें हितों के टकराव का कोई मामला नहीं है। सलाहकार चुनने की पूरी प्रकिया प्रतिस्पर्धी होती है। लेकिन बिजनेस करने वाला हर आदमी जानता है कि जब इस कम्पनी वाले का इतना करीबी रिश्तेदार बैंक के CEO के पद पर बैठा हो तो किसी और कम्पनी से लोन का रिस्ट्रक्चरिंग क्यो करवाया जाए।

लिहाजा यह फायदा धूत साहब ने पूरी तरह से उठाया और एविस्ता की सेवाएं लेकर आईसीआईसीआई बैंक में अपने लोन 3,250 करोड़ रुपये को 2017 में राइट ऑफ करवा लिया, और ऐसे ही बाकी कम्पनियो ने भी किया होगा जिसके कच्चे चिठ्ठे खुलना अभी बाकी है। अब अगर मोदी भक्तों को इसमे भी किसी को कोई घोटाला नही दिख रहा तो वह अपने दिमाग का इलाज करवा लें।

चंदा कोचर के देवर राजीव कोचर को मुंबई हवाई अड्डे पर कस्टम अधिकारियों ने हिरासत में लिया

आईसीआईसीआई बैंक की प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर के देवर राजीव कोचर को मुंबई हवाई अड्डे पर कस्टम अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया और सीबीआई को सौंप दिया है। सीबीआई अब उससे पूछताछ कर रही है।

अब यह खेल समझिये जो चन्दा कोचर ने, उनके पति दीपक कोचर ने, वीडियोकॉन के वेणु गोपाल धूत ने ओर चन्दा कोचर के देवर राजीव कोचर ने मिलकर के खेला है,.....

आपको यहाँ इस खेल की कोई जानकारी नही होगी न ही इसे अभी तक गलत प्रेक्टिस बताता हुआ रिजर्व बैंक का बयान आया है लेकिन अमेरिका में आईसीआईसीआई बैंक की इस हरकत पर ICICI बैंक को 'क्लास एक्शन' कानूनी मामले और एक महंगे सेटलमेंट का सामना करना पड़ सकता है और अमेरिका में आईसीआईसीआई बैंक से सम्बंधित संस्थान के शेयर तेजी से नीचे गिर गए हैं।

दरअसल चन्दा कोचर आईसीआईसीआई बैंक को अपने फैमिली बिजनेस की तरह चला रही थी और यह बात पिछले दिनों ही सामने आ चुकी है कि किस तरह से एक बड़ी इंडस्ट्री यानी वीडियोकॉन से चन्दा कोचर अपने पति दीपक कोचर की पार्टनर शिप में रिन्यूएबल एनर्जी की एक कम्पनी खुलवाती है फिर एक बहुत बड़ा लोन मंजूर करने की एवज में उस कम्पनी का पूरा अधिपत्य, दीपक कोचर को वीडियोकॉन वाले धूत साहब ट्रांसफर कर देते हैं साथ ही उस कम्पनी में करोड़ों का इन्वेस्टमेंट भी कर देते हैं।

लेकिन कहानी यही खत्म नही होती दो दिनों मे इस कहानी में बहुत बड़ा चेंज आया है और वो चेंज ये है कि एक नए किरदार की एंट्री हुई है और वो है चंदा कोचर के देवर राजीव कोचर जो एक खास तरीके का बिजनेस चलाते हैं।

दरअसल चन्दा कोचर आईसीआईसीआई बैंक को अपने फैमिली बिजनेस की तरह चला रही थी और यह बात पिछले दिनों ही सामने आ चुकी है कि किस तरह से एक बड़ी इंडस्ट्री यानी वीडियोकॉन से चन्दा कोचर अपने पति दीपक कोचर की पार्टनर शिप में रिन्यूएबल एनर्जी की एक कम्पनी खुलवाती है फिर एक बहुत बड़ा लोन मंजूर करने की एवज में उस कम्पनी का पूरा अधिपत्य, दीपक कोचर को वीडियोकॉन वाले धूत साहब ट्रांसफर कर देते हैं साथ ही उस कम्पनी में करोड़ों का इन्वेस्टमेंट भी कर देते हैं।

राजीव अविस्टा एडवाइजरी ग्रुप नाम की कंपनी चलाते हैं यह कंपनी बड़ी कंपनियों की बैंकों के साथ लोन रिस्ट्रक्चरिंग में मदद करती हैं यानी जिन इंडस्ट्री का कर्जा लगभग डूब गया होता है उस इंडस्ट्री ओर बैंक के बीच एक प्रकार की मध्यस्थता का रास्ता सुझा देते है, ओर साथ ही उन कंपनियों को नया लोन भी दिलवा देते हैं इस काम को कारपोरेट की भाषा मे क्लाइंट्स के कर्ज को रीस्ट्रक्चरिंग के लिए एडवाइस किया जाना बोला जाता है।

एविस्टा एडवाइजरी वो ही कंपनी है, जिसने पिछले 6 साल में सात बड़ी कंपनियों के 1.7 अरब डॉलर से अधिक के विदेशी मुद्रा और लोन दिलाने में मदद की।

ओर कमाल की बात तो यह है कि इन सभी कंपनियों ने ICICI बैंक से एक ही समय पर कर्ज लिया था. कुछ कम्पनियों के नाम इस प्रकार है जयप्रकाश एसोसिएट, जीटीएल इंफ्रा, सुजलॉन और जयप्रकाश पावर आदि वीडियोकॉन भी अविस्ता एडवाजरी का एक बड़ा क्लाइंट है।

जब आईसीआईसीआई बैंक से पूछा गया कि किस बिना पर आपने एविस्ता के राजीव कोचर ओर चन्दा कोचर के नजदीकी रिश्तेदार होने पर प्रश्न नही उठाया तो ICICI का कहना था कि कंपनीज एक्ट 1956 और 2013 के तहत पति का भाई रिलेटिव की कैटेगरी में नहीं आता है. इसलिए बैंक इसे गलत नही मानता है।

अब बताइये ये घटिया जवाब किस तरह से गले उतर सकता है राजीव कोचर भी कह देते हैं कि %इसमें हितों के टकराव का कोई मामला नहीं है. सलाहकार चुनने की पूरी प्रकिया प्रतिस्पर्धी होती है।

लेकिन बिजनेस करने वाला हर आदमी जानता है कि जब इस कम्पनी वाले का इतना करीबी रिश्तेदार बैंक के CEO के पद पर बैठा हो तो किसी ओर कम्पनी से लोन का रिस्ट्रक्चरिंग क्यो करवाया जाए।

लिहाजा यह फायदा धूत साहब ने पूरी तरह से उठाया और एविस्ता की सेवाएं लेकर आईसीआईसीआई बैंक में अपने लोन 3,250 करोड़ रुपये को 2017 में राइट ऑफ करवा लिया, ओर ऐसे ही बाकी कम्पनियों ने भी किया होगा जिसके कच्चे चिठ्ठे खुलना अभी बाकी है। अब यदि इसमे भी किसी को कोई घोटाला नही दिख रहा तो वह अपने दिमाग का इलाज करवा लें।

निजी क्षेत्र के बैंको की बेशर्मी देखिए

निजी क्षेत्र की बैंको की आप बेशर्मी देखिए कि चन्दा कोचर जिस समारोह में राष्ट्रपति जा रहे हैं उसमें मुख्य अतिथि बनने से इन्कार तो कर रही है लेकिन इतना बड़ा घोटाला सामने के आने के बाद आईसीआईसीआई बैंक में अपना पद नही छोड़ रही

सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक की बात नही है एक्सिस बैंक का बोर्ड मिन्नते कर रहा है कि शिखा शर्मा को चौथा टर्म यानी तीन साल का एक्सटेंशन ओर दे दिया जाए ओर इस बात की घोषणा बैंक का बोर्ड शिखा शर्मा के कार्यकाल की समाप्ती के 11 महीने पहले ही कर देता है कि मैडम 2021 तक बैंक की प्रमुख बनी रहेंगी

एक्सिस बैंक की खराब परफोरमेंस और लगातार बिगड़ती एसेट क्वालिटी के बावजूद बैंक का बोर्ड शिखा शर्मा को तीन साल के लिए बैंक प्रमुख बनाने पर क्यो तुला है समझ के बाहर है

एक्सिस बैंक की हालत इस कदर खराब है कि आरबीआई ने एक्सिस बैंक को उन बैंकों की सूची से हटा दिया है जिन्हें मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सोने व चांदी के आयात की अनुमति है जबकि निजी क्षेत्र का एक्सिस बैंक पिछले साल सर्राफा के सबसे बड़े आयातक बैंकों में से एक रहा था रिजर्व बैंक ने उन 16 बैंकों की सूची अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित की जिन्हें मौजूदा वित्त वर्ष में सोने-चांदी के आयात की अनुमति रहेगी। इसमें एक्सिस बैंक का नाम नहीं है। पिछले साल जिन 19 बैंकों को यह अनुमति थी उनमें प्रमुख आयातकों में से एक एक्सिस बैंक रहा था। इस अनुमति के तहत बैंक कच्चे सोने व चांदी का आयात कर उसे बेचते हैं

आईसीआईसीआई बैंक की चंदा कोचर और एक्सिस बैंक की शिखा शर्मा को पिछले महीने सीबीआई ने पूछताछ के लिए तलब किया था ये दोनों ही टॉप बैंक अधिकारी उस कंसोर्टियम की सदस्य थीं, जिन्होंने नीरव मोदी के मामा मेहुल चोकसी की कंपनी गीतांजलि ग्रुप के लिए 3280 करोड़ रुपये के बैंक लोन की मंजूरी दी थी।

जब पीएनबी घोटाला सामने आया था तो उसमे यह पता चला कि बैंको ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) का आदेश नही माना कि कोई भी अधिकारी एक शाखा में तीन साल से ज्यादा नहीं टिक सकता, लेकिन जब बड़े बड़े अधिकारियों और सर्वोच्च पदों पर बैठे लोगों की बात आती है तो सारे नियम कायदे धरे रह जाते हैं, चन्दा कोचर के मामले से साफ हो जाता है कि एक व्यक्ति को लगातार यदि कई सालों से बैंक प्रमुख के पद पर रखा जाता है तो वह किस तरह से अपने निजी हितो को प्राथमिकता देते हुए पब्लिक के जमा पैसे में हेराफेरी करने से नही चूकता.....

लेकिन इस पूरे प्रकरण में रिजर्व बैंक क्यो धृतराष्ट्र की भूमिका निभा रहा है यह भी समझ के परे है....

खबर (दार)

विकास नारायण राय

संविधान में दबंग ही नहीं उत्पीड़ित भी!

भारतीय तंत्र में एक अजीब कशमकश देखने को मिल रहा है। जातीय उत्पीड़न के खिलाफ बने एससी एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक व्यवस्था को उत्पीड़ित समाज के ही जन आन्दोलन ने संविधान बचाने के नाम पर चुनौती दे डाली। यह संभव हुआ क्योंकि भारतीय संविधान में, समानता और स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों का क्रमशः सामाजिक समता और न्यायिक विवेक से सामंजस्य किया गया है। मौजूदा रस्साकशी में सुप्रीम कोर्ट इस सामंजस्य के एक सिरे पर खडा दिखा और जन आन्दोलन दूसरे पर!

फिलहाल, दो अप्रैल के दलित बंद ने संघ की हिंदुत्व राजनीति पर गहरी चोट की है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि दलित समुदाय के इस व्यापक आक्रोश प्रदर्शन से भाजपा का 'समरसता' के एजेंडे में लिपटा संविधान परिवर्तन का आयाम एकबारगी राजनीतिक नेपथ्य में पहुँच गया। इस परिप्रेक्ष्य में, दस अप्रैल के प्रस्तावित संघी बंद के गहरे निहितार्थ हैं। दरअसल, बिना समता (equity) के समानता (equality) थोपने की कवायद, मसलन जातिगत आरक्षण पर प्रश्नचिन्ह, देश को एक असंवैधानिक परिणति की ओर ही ले जाएगी।

यूँ आरएसएस संचालित राज्यों में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 में समानता और समता के दलित सामंजस्य को व्यवहार में तो रोज ही तोड़ा जा रहा है। सरसरी नजर से देखने पर भी, उनके समर्थकों के आये दिन के बेलगाम दलित उत्पीडन के प्रसंग, उनके अपने 'हिंदू एकता' नारे का मखौल बनाते हैं। जबकि संघ, न इस नारे के पाखंड को छोड सकता है और भला अपने धुर समर्थकों को तो टोके भी कैसे!

ये अनुच्छेद, भारतीय संविधान के भाग तीन में दर्ज मौलिक अधिकारों के वे रूप हैं, जो संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा होने के चलते, बदलाव का निशाना नहीं बनाये जा सकते। इनके तहत ही रोजगार और शिक्षा में दलितों के लिए आरक्षण करना संभव होता है। संविधान के भाग सोलह के अनुच्छेद 335 के तहत सरकारी सेवाओं और पदों में दलितों और आदिवासियों के दावे, प्रशासनिक कुशलता के अनुरूप, स्वीकार्य करने होंगे।

यहाँ, मौजूदा बहस के संवैधानिक आयामों के परस्पर पूरक रिश्तों को जानना जरूरी है। मौलिक अधिकारों में, छूआ-छूत परंपरा से लादी जाने वाली हर असमर्थता कानूनन दंडनीय घोषित है (अनुच्छेद 17), और साथ ही मनमानी या अनियंत्रित गिरफतारी और कैद से बचाव का समुचित अधिकार भी (अनुच्छेद 22) सभी को हासिल है। इतना ही नहीं, सभी के लिए व्यक्तिगत, धार्मिक, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन और शिक्षा के अधिकार की अवधारणायें भी मौलिक अधिकार में शामिल हैं।

उपरोक्त अनुच्छेद 17 के तहत ही एससी एसटी एक्ट (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989) बना है जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दलित उत्पीड़न के एक मामले में विचाराधीन था। अब इस पर आये वर्तमान फैसले की व्यापक आलोचना बनी है कि एक्ट के कठोर प्रावधानों को हल्का कर दिया गया है। कम से कम मुकदमा दर्ज करने से पूर्व जांच के निर्देश को लेकर तो निश्चित ही दलित आशंका जायज है।

तुरंत मुकदमा दर्ज हो, यह सुनिश्चित करने के लिए, इस सम्बन्ध में कोताही करने वाले सरकारी कर्मी को भी अभियुक्त बनाने की एक्ट में व्यवस्था रही है। जबकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क के साथ कि एक्ट का व्यापक दुरुपयोग किया जा रहा है, अनिवार्य रूप से प्रारंभिक जांच के बाद ही मुकदमा दर्ज करने का आम निर्देश जारी किया है। यहाँ बिना आकडों के सच-झूठ की भूल-भुलैया में घुसे भी स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक वास्तविकता की एकतरफा व्याख्या की है; इस हद तक फैसले की व्यवस्था में समता ही नहीं समानता की भी अनदेखी की गयी है। हालाँकि, एक्ट की धारा 18 में अग्रिम जमानत पर लगी रोक को हटाकर सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक वास्तविकता को स्वीकारा भी है। अग्रिम जमानत किसी आरोपी का हक नहीं होती और सशर्त परिस्थितियों में ही मिलती है। इसी तरह, झूठे मुकदमे वही नहीं होते जिनमें पुलिस अदालत में चार्ज-शीट दाखिल न करे। दरअसल, कितने ही झूठे मुकदमे पुलिस स्वयं गढ़ती है और उनमें चार्ज-शीट भी दाखिल करती है। क्या युवा दलित नेता चंद्रशेखर के विरुद्ध योगी पुलिस ने एकदम झूठी चार्ज-शीट नहीं दे रखी है।

वर्षों पूर्व मैं स्वयं भी गवाह रहा हूँ कि कैसे फरीदाबाद में जाट जाति के एक जुझारू पत्रकार को, ब्राह्मण जाति के पुलिस अधीक्षक ने अपनी व्यक्तिगत खुन्नस निकालने के लिए, अपने मातहत एक दलित जाति के उप पुलिस अधीक्षक की मार्फत एससी एसटी एक्ट में फर्जी केस दर्ज कर हफतों जेल में रखा। बाद में अदालत ने केस को चार्ज लगाने योग्य भी नहीं पाया और खारिज कर दिया। क्या कोई गारंटी दे सकता है कि इस एक्ट के अंतर्गत दर्ज होने वाला एक भी वाकया अग्रिम जमानत लायक नहीं बनेगा।

संविधान की दुहाई देने वालों को याद रखना होगा कि 'सबूत के बाद गिरफतारी' ही संविधान सम्मत न्यायिक प्रक्रिया हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के गिरफतारी से पूर्व पुलिस अधीक्षक की अनुमति को अनिवार्य बनाने से एससी एसटी एक्ट कमजोर नहीं होगा बल्कि इसकी न्यायिक पकड और मजबूत ही होगी। इससे वरिष्ठ अधिकारी को एक्ट के अंतर्गत सबूत जुटाने से लेकर गिरफतारी से जुडे हर पक्ष के प्रति सीधा जवाबदेह बनाया जा सकेगा। गिरफतारी में देरी के प्रति भी और एक्ट के दुरुपयोग के प्रति भी!

संवैधानिक प्रावधानों में परस्पर सामंजस्य बेशक अन्तर्निहित हो, उससे सामाजिक यथार्थ में दरार की थाह नहीं मिलती। जब मैं यह सब लिख रहा हूँ, गुजरात में एक दलित युवक को गाँव में घोड़े पर चलने के जुर्म में मौत दी जा चुकी है और यूपी के कासगंज में प्रशासन की नींद हराम हुयी पड़ी है कि वहां के निजामपुर गाँव में घोड़े पर सवार होकर शादी के लिए जाने वाले दलित युवक को सुरक्षित रास्ता देना कैसे सुनिश्चित किया जाये। फरीदाबाद के सुनपेड़ गाँव का लोमहर्षक कांड भूला नहीं होगा, जहाँ अक्तूबर 2015 में दलित पिता द्वारा अपने दो बच्चों को जलाकर मारने और पुराने विपक्षियों को इस मामले में झूठा लपेटने का केस सीबीआई इसलिये चार्ज-शीट नहीं कर पायी है क्योंकि वह सत्ता राजनीति को रास नहीं आएगा।

सामाजिक बदलाव के क्रम में हिंसा होना दुर्लभ नहीं। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक सक्रियता और अंबेडकर के प्रति राजनीतिक वफादारी प्रदर्शन के दौर में, दो अप्रैल के बंद में उत्पीडित की जुम्बिश देखने को मिली थी; क्या दस अप्रैल को दबंग का तांडव देखना होगा?

मोदी जी! बंद कीजिए ये दिखावा, डार्विन और न्यूटन पर शिक्षामंत्री की गलतबयानी पर चुप्पी और विज्ञान पर इतनी चिंता ?

कालू राम शर्मा, विज्ञान मामलों के विशेषज्ञ

'साइंस एंड टेक्नॉलाजी रीचिंग द अनरीच्ड थीम' पर आयोजित 105वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य का स्वागत करना चाहिए कि उन्होंने छात्रों में विज्ञान को बढ़ावा देने की जरूरत पर बल दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्घाटन करते हुए नरेंद्र मोदी ने अपने उद्बोधन में कहा कि युवाओं में वैज्ञानिक चिंतन को बढावा देने की जरूरत है। स्कूली बच्चों के लिए विज्ञान के संस्थान व प्रयोगशालाएं खोलने का आह्वान करते हुए महसूसते हैं कि बच्चों के साथ संवाद कायम करने की जरूरत है।

इस कार्यक्रम में देश-विदेश के वैज्ञानिक, विद्वान और कॉरपोरेट अधिकारियों सहित करीब 5,000 प्रतिनिधि शामिल हुए। खास बात यह है कि 5,000 प्रतिनिधियों में से 2,000 वैज्ञानिक थे।

वैज्ञानिकों से इस अवसर पर वे कहते हैं कि वैज्ञानिक उपलब्धियों को समाज तक पहुंचाया जाए। प्रधानमंत्री यह भी कहते हैं कि आम लोगों के फायदे के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान करें व रिसर्च एंड डिवेलपमेंट (आर एंड डी) को राष्ट्र के विकास के लिए पुनः परिभाषित करें।

उल्लेखनीय है कि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन प्रतिवर्ष जनवरी में होता रहा है। विज्ञान कांग्रेस के इतिहास में यह पहली घटना है जब 3 से 5 जनवरी 2018 के दरमियान इस आयोजन को ओस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद के वाइसं चांसलर ने कैंसिल कर दिया। ओस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के अनुसार तीन दिसंबर 2017 को एमएससी भौतिकी के छात्र मुरली ने कैंपस में खुदकुशी कर ली थी और तभी से यूनिवर्सिटी की ओर से प्रशासन को धमकियां मिल रही थी। यही एक कारण है कि विज्ञान कांग्रेस का यूनिवर्सिटी का फैसला टालना पड़ा।

इसके बाद विज्ञान कांग्रेस का पांच दिवसीय आयोजन 16—20 मार्च तक पूर्वोत्तर में मणिपुर विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने भातर के महान वैज्ञानिकों पद्म विभूषण प्रो. यशपाल, पद्म विभूषण डॉ. यू. आर. राव तथा पद्मश्री डॉ. बलदेव राज को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए की, जिनका कुछ ही समय पहले निधन हुआ है। उनके साथ ही प्रधानमंत्री ने महान भौतिकी विज्ञानी स्टीफन हॉकिंस को भी याद किया, जिनका इसी माह निधन हुआ था।

यह सही है कि हमारे देश में विज्ञान शिक्षण की स्थिति भयावह कही जा सकती है। हालांकि स्थिति वैज्ञानिक शोधों की भी काफी दयनीय है। विश्वविद्यालयों में किए जा रहे वैज्ञानिक शोधों का स्तर काफी दोयम या तीसरे दर्जे का होता है। जहां पीएचडी की डिग्री पाना ही एक मात्र मकसद होता है।

सीएसआइआर व इससे जुड़ी वैज्ञानिक संस्थान जो कि वैज्ञानिक कार्य को बढ़ावा देते हैं, उनके बजट में सरकार ने 50 फीसदी तक कटौती कर दी गई। जानी-मानी पत्रिका नेचर के अनुसार भारत में वैज्ञानिक शोध की स्थिति काफी कमजोर है। दुनियाभर में भारत के शोध पर दस्तावेज तो प्रसारित होते हैं, मगर ये दोयम दर्जे के हैं।

यह भी जगजाहिर है कि हमारे यहां के शोध संस्थान ब्यूरोक्रेसी के शिकार हैं। विश्वविद्यालयों में जो शोध हो रहे हैं वे मात्र डिग्री पाना मकसद है जो प्रमोशन और पद

के लिए की जाती है। शोध वेतन बढ़ोतरी का एक प्रमुख आधार बन जाता है।

प्रधानमंत्री ने ये दो अलग-अलग चीजें कहीं, मगर इनका एक दूसरे से काफी गहरा रिश्ता है। देश में वैज्ञानिक शोधों की स्थिति के लिए यह यह सच है कि हमें वैज्ञानिक संस्थानों को दुरस्त करना होगा। साथ ही उन्हें पर्याप्त फंड उपलब्ध कराना होगा। लिहाजा, यह भी विचारणीय है कि आखिर वैज्ञानिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों में जो युवा प्रवेश पाते हैं वे स्कूलों से विज्ञान की बुनियादी समझ किस प्रकार की लेकर जाते हैं।

स्कूली विज्ञान शिक्षा का हाल कुछ इस प्रकार का है कि बच्चे विज्ञान रटने को मजबूर है। स्कूली स्तर पर बच्चों को अधिक से जांच-पड़ताल के पर्याप्त अवसर मुहैया कराए जाने चाहिए ताकि उनमें खोजी प्रवृति और रचनात्मकता का भाव पनपे।

स्कूली विज्ञान शिक्षा इन दिनों बुनियादी समस्याओं से ग्रसित है। अधिकांश स्कूलों में विज्ञान का शिक्षण करने वाले शिक्षक विज्ञान संकाय के नहीं हैं। ऊपर से स्कूलों में विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों की तैयारी विज्ञान के मान्य सिद्धांतों से मेल नहीं खाती। शिक्षा जगत में शिक्षकों की विज्ञान के मान्य सिद्धांतों के अनुरूप सतत् उन्मुखीकरण को लेकर सोच और मंचों का अभाव है।

भारत में यह तस्वीर आमतौर पर देखी जा सकती है। जहां बच्चों के हाथों में माइक्रोस्कोप होना चाहिए वहां उनके हाथों में जानकारी से लदी हुई बेजान, नीरस सी पाठ्य पुस्तक है। हमारे यहां स्कूली विज्ञान शिक्षा अलग-थलग पड़ी हुई है। इसे विश्वविद्यालय और वैज्ञानिक संस्थानों के समर्थन की आवश्यकता है।

विज्ञान शिक्षा को एक साधन के रूप में अपनाते हुए समाज में वैज्ञानिक नजरिए को पोषित करने का जो सपना आजाद भारत ने देखा था वह आज भी क्रियान्वयन की बाट जोह रहा है। सोचा यह गया था कि विषमताएं चाहे वह जाति, धर्म और जेंडर की हो या अंधविश्वासों के अंधकार की, इन्हें दूर करने में विज्ञान को एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, यह पहल कोरी विज्ञान शिक्षा के दस्तावेजों में दबी पड़ी है।

चुनौतियां दो स्तर पर हैं एक यह कि विज्ञान शिक्षा उन प्रथम पीढ़ी के समाज तक पहुंचाने की जरूरत है जो विषमताओं से दबा हुआ है। दूसरी चुनौती यह कि विज्ञान शिक्षण की डिग्री पाने वाले बुरी तरह से अंधविश्वासों में जक्ड़े हुए हैं।

स्कूली विज्ञान शिक्षा एक ऐसा जरिया हो सकता है जो समाज में वैज्ञानिक नजरिए को फलने-फूलने के अवसर उपलब्ध करा सकता है। स्कूलों के जरिए हमें कल के नागरिकों की एक ऐसी पीढ़ी तैयार करनी होगी जो वैज्ञानिक मानसिकता की वाहक होगी। यहीं से तमात विषमताओं से छुटकारा पाने की एक बेहतर शुरूआत हो सकती है।

105 वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में प्रधानमंत्री की यह चिंता जायज तो लगती है, मगर उनके ही केंद्रीय मंत्री विज्ञान के विरूद्ध वक्तव्य देने से नहीं थकते। मानव संसाधन राज्य मंत्री सत्यपाल ने हाल ही में जो बयान दिया वह हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के खिलाफ है।

चूंकि प्रधानमंत्री को विज्ञान और वैज्ञानिक मानसिकता पर सकारात्मक कहना था, इसलिए उन्होंने कहा। एक तरफ अपने ही मंत्रिमंडल के कथित जिम्मेदार मंत्री के बयान पर चुप्पी साधे रहते हैं, वहीं मंच से वे विज्ञान की चिंता जाहिर करते दिखते हैं जो एक दिखावा से अधिक नहीं। हमारे देश में विज्ञान शिक्षण की हालत का जायजा मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री सत्यपाल के बयान से लगाया जा सकता है।

भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जिसका संविधान वैज्ञानिक नजरिए को पोषित करने की बात करता है मगर तस्वीर का दूसरा पहलू यह कि शिक्षा के जरिए संवैधानिक मूल्यों को स्थापित करने वाले लोग ही वैज्ञानिक मान्यताओं की सरेआम धज्जियां उड़ाते दिखते हैं।

मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के ठीक सवा महीने पहले कहा कि स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में डार्विन के सिद्धांत में परिवर्तन की जरूरत है। उन्होंने डार्विन के विकासवाद को गलत ठहराते हुए कहा कि हमारे पूर्वज हमेशा से ही मानव थे। इंसान जब से पृथ्वी पर देखा गया है तब से वह इंसान ही है। अखिल भारतीय वैदिक सम्मेलन में उन्होंने कहा इंसान जब से पृथ्वी पर देखा गया है, हमेशा इंसान ही रहा है।

एक और बयान नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के सदस्य का देखिए जो विज्ञान कांग्रेस के अवसर पर गैर वैज्ञानिक बयान देने से नहीं चूकते। हाल ही में महान वैज्ञानिक स्टीफन हाकिंग का निधन हुआ। इसी दौरान विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने बिन सिर-पैर का बयान दे डाला। हर्षवर्धन ने दावा किया कि स्टीफन हाकिंग ने कहा था कि वेदों में निहित सूत्र अल्बर्ट आइंस्टीन के E=mcw के सापेक्षता सिद्धांत से भी बेहतर है।

उल्लेखनीय है कि हाकिंग का इसी दौरान देहावसान हुआ था और आम समाज तक के लोग उनके वैज्ञानिक विचारों का बखान करते हुए आंसू बहा रहे थे, वहीं भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री दकियानूसी बात कह रहे थे। हालांकि उनसे जब पूछा गया कि इस जानकारी का स्रोत क्या है, इसे उन्होंने टालने की कोशिश की।

अगर बागड़ ही खेत को चरने लगे तो फिर क्या बचता है। विज्ञान कांग्रेस का आयोजन चूंकि एक प्रथा बन चुका है, इसलिए उस मंच से प्रधानमंत्री के औपचारिक बयान को हर्षवर्धन का औपचारिक बयान धत्ता बताता है। सच पूछा जाए तो यह उस प्रोटोकॉल के भी खिलाफ है। इसे एक और कोण से भी देखने की जरूरत है कि सत्ताधारी सरकार वैज्ञानिक सिद्धांतों व सोच को ही नकारने में लगे हुए हैं और देश को अंधविश्वास व दकियानुसी सोच से उबारने के बजाय इस खाई में धक्का देने की कोशिश में लगे हुए हैं जहां से हमें विज्ञान ने उबारने में अहम भूमिका अदा की है।

कौन से हिंदू हैं आप ?

हेमंत मालवीय

आप ,केवल एक डरपोक हैं, जो पानी छानकर पीते हैं, आदमी का खून बिना छना पी जाते हैं। आप वो कौम हैं , जिसे मुसलमान का भय दिखा कर हर चुनाव बाड़े में इकट्ठा कर लिया जाता है । फिर आपकी खाल मूड कर वापस पाँच साल चरने को छोड़ दिया जाता है ।

आपके सामने मुसलमान नही होता तो ईसाई का भय होता , पाकिस्तान का नही तो इटली का भय होता, मुल्ला मौलाना नही होता तो पोप होता, जैसे आज ओसामा नही तो बगदादी है। आप का भयभीत रहना बहुत जरूरी है ,वरना 20 करोड़ ज्यादा होते हैं या 110 करोड़ , तो डरना किसे चाहिए, पर नही डर तो आप रहे हैं ,क्योंकि आपको डराया जा रहा है , 3का पहाड़ा न मोदीजी को पता हैं न भक्तो को।

असल सवाल है आप हिन्दू हैं तो आपको हिन्दू राष्ट्र चाहिए हिन्दू हित की बात करने वाले नेता भी चाहिए तो बताइए आप कौन से वाले हिन्दू है ? आरक्षण समर्थक है या विरोधी ? अगड़े हैं कि पिछड़े हैं? शुद्र हैं कि क्षत्रिय? ब्राह्मण हैं या वैश्य?, बौद्ध हैं या जैन? जाट हैं या गुर्जर? तेली है या लुहार । मल्लाह है या भिस्ती चमार है या धोबी । कलाल है या लाला । आखिर आप कौन से वाले हिन्दू है ?

आप में से बहुतों को लगता हैं RSS और मोदीजी बस कल, परसों या कुछ बरसो में आरक्षण को खत्म कर देंगे ।

पर ये न तो भागवत कर सकते हैं न मोदी ,.....दोनों में से कोई बस एक लफ्ज इस बारे में कह भर दे फिर देखे , ... अगले दिन ही दुक्कान बन्द हो जाएगी !

सुप्रीम कोर्ट के सही निर्णय तक के तो खिलाफ सरकार ही कोर्ट को फिर निर्णय पर विचार करने को कहने लगी, क्यों? कोर्ट ने क्या गलत बात कह दी थी । जो बन्द विरोध हो रहा है । सरकार की मंशा क्या है समझ आएगी भी नही क्योकि भाजपा भी उतनी ही गिरी हुए राजनीति करने को बनी है जितनी गन्दी जात पात की राजनीति कांग्रेस ने की । कारण? क्योकि वे जानते हैं ...

अद्भुत सहनशीलता और भयावह तटस्थता है इस धर्म के नाम बटे देश के आदमी में। कोई उसे पीटकर पैसे छीन ले तो वह दान का मंत्र पढ़ने लगता है , यहा कोड़े मारने वाला शासक बहुत आला ओर अच्छा माना जाता है। जैसे कई आज मोदी से खुश हैं ,कल कभी संजय गांधी से भी थे।

सनातन काल से बाटने की नीति को राजनीति चाणक्य नीति ओर जातिगत भेदभाव को मनुनीति समझाया गया है, सनातन काल से लोगो का शोषण किया गया है और उसे ही जरूरी व्यवस्था बताया गया है , आजादी बाद शोषित का हक आरक्षण के नाम ,बदला लेने को उन सदियों के शोषण का हिसाब, अब कल तक के शोषण कर्ताओ के बच्चो का शोषण आज करवा कर चुकता किया जा रहा है ,चंद लोगों ने भगवान के नाम शैतानियत के काम किये हैं, पर शासन व्यवस्था के नाम और भी ज्यादा किये हैं । लोग नोटबन्दी पे लाइनों में चुपचाप इसलिए आ लगे है, क्योकि ये गलत काम जनता को सामुहिक रूप से बरगला कर और भी आसानी से देश भक्ति के नाम किया गया , जो विरोध करे वो देश विरोधी ,एक पिकचर रिलीज हो जाये तो समाज विरोधी, जिसका वही लोग पत्थर मारते हैं और विरोध करते हैं और अगले दिन वही लोग उसी फिल्म की फस्ट डे फस्ट शो की टिकट की लाइनों में खड़े मिलते हैं ।

और इसी दोगलेपन ने हमे बिना रीढ का सुरजमुखी का फूल बना दिया है जो केवल उगते सूरज को सलामी देने को खिला करते हैं ।

खुलासा - महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री के जीजा ने बदली थी जज लोया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट

जनज्वार, दिल्ली। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री के जीजा ने जज लोया के पोस्टमार्टम में दिखाई थी विशेष दिलचस्पी, कारवां पत्रिका की नई रिपोर्ट में हुआ इसका खुलासा।

मुंबई हाईकोर्ट के जज लोया हत्याकांड का खुलासा करने वाली पत्रिका कारवां ने फिर एक बार सनसनीखेज दावा किया है। उसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि नागपुर मेडिकल कॉलेज के फोरेंसिक विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर मकरंद व्यावहारे ने राजनीतिक संबंधों को निभाने के लिए जज लोया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फेरबदल की है।

पर चालाकी देखिए कि इस मामले के मास्टरमाइंड डॉक्टर मकरंद के हस्ताक्षर न तो जज लोया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की किसी फाइल पर हैं, न ही अदालत के किसी कागजात पर। पहली निगाह में लगता है कि मकरंद का तो कोई रोल ही नहीं है, लेकिन जब खुलासे होते हैं तो पता चलता है कि भाजपा ने अपने अध्यक्ष और सोहराबुदद्दीन शेख फर्जी इनकांउटर मामले के आरोपी अमित शाह को बचाने के लिए कहां—कहां चादर तान रखी है।

मुंबई हाईकोर्ट के जज लोया की उस समय मौत हो गयी जब वह गुजरात के सोहराबुदद्दीन शेख फर्जी इनकांउटर मामले की सुनवाई कर रहे थे और संभव था कि वह अगली सुनवाई पर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को गिरफ्तार करने के आदेश दे सकते हैं। ऐसे में पूरी भाजपा अपने अध्यक्ष और प्रधानमंत्री मोदी के सबसे भरोसेमंद अमित शाह को बचाने के लिए झोंक दी गयी। ताकत इसलिए भी झोंकी कि अगर अमित शाह सोहराबुदद्दीन शेख मामले में नपते तो तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी पर आंच नहीं आती, यह असंभव था।

गौरतलब है कि गुजरात के सोहराबुद्दीन अनवर हुसैन शेख़ की 26 नवंबर 2005 की फ़र्ज़ी मुठभेड़ में हत्या कर दी गई थी। हत्या के एक चश्मदीद गवाह रहे तुलसीराम प्रजापति की भी दिसंबर 2006 में एक मुठभेड़ में मार दिए गए। उसके बाद सोहराबुद्दीन की पत्नी क़ौसर बी की भी हत्या हो गयी। इन सभी हत्याओं के आरोप गुजरात के तत्कालीन गृहमंत्री अमित शाह पर लगे, जिसके बाद अमित शाह की गिरफ्तारी हुई।

अमित शाह की हत्या में संलिप्तता को लेकर सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में जांच चली। अमित शाह की इन हत्याओं में संलिप्तता का आरोप इतना सीधा था कि अदालत ने अमित शाह को राज्य-बदर कर दिया गया कि वह जांच को प्रभावित न कर सकें। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई गुजरात से बाहर करने की और कहा कि सुनवाई के दौरान जजों का तबादला न किया जाए।

पर मामले की सुनवाई कर रहे सीबीआई के विशेष जज जे टी उत्पत का ट्रांसफर कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने मई 2014 में अदालत में उपस्थित होने समन किया। शाह ने पेश होने की छूट मांगी पर जज उत्पत ने नहीं दी, जिसके बाद उनका सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ट्रांसफर कर दिया गया।

इसके बाद ये मामला जज लोया को सौंप दिया गया, पर यहां भी अमित शाह जज लोया की अदालत में पेश नहीं हुए और एक दिसंबर 2014 को लोया की मौत नागपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इसके बाद जो जज एमबी गोसावी अमित शाह की संलिप्तता की जांच के लिए आए उन्होंने आते ही एक दिन का समय गवांए बिना दिसंबर 2014 में अमित शाह को इस मामले से बरी कर दिया और वह अपने बाल—बच्चों के साथ सुख चैन से जी रहे हैं।

नागपुर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में फोरेंसिक विभाग के प्रोफेसर डॉ. मकरंद व्यावहारे महाराष्ट्र के वित्त मंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व भाजपा अध्यक्ष सुधीर मंगतीवार के जीजा हैं। कारवां की जांच रिपोर्ट के तथ्यों पर गौर करें तो बहुत साफ हो जाता है कि व्यावहारे ने न सिर्फ अपने कार्यक्षेत्र से बाहर जाकर जज लोया की मौत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अपने मनमुताबिक बनवाया है, बल्कि इसके लिए जिस तरह का भी हथकंडा अपनाने की जरूरत पड़ी है, उसका इस्तेमाल किया है।

नागपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में फॉरेंसिक विभाग में न्यायाधीश बीएच लोया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की दो महीने तक रिपोर्टर निकिता सक्सेना ने सिलसिलेवार जांच की। इस जांच के बाद निकिता ने अपनी रिपोर्ट में कई नए खुलासे किए हैं। इस खुलासे के बाद लोया हत्याकांड के संदेहों को बहुत ही प्रामाणिक तथ्य मिले हैं, जिससे साफ हो जाता है कि बहुत ही चालाकी और तैयारी के साथ जज लोया की हत्या को हर स्तर पर हॉर्ट अटैक में बदलने की सुनियोजित तैयारी की गयी है।

महत्वपूर्ण यह है कि जज लोया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉक्टर मकरंद व्यावहारे के निर्देश पर जारी की गई थी। व्यावहारे ने तय किया था कि जज लोया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कौन—कौन से विवरण शामिल किए जाने हैं और किन तथ्यों को शामिल नहीं करना है। बाद में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज द्वारा पोस्टमार्टम में छेड़छाड़ किए जाने की शिकायतों पर जांच बिठाई गई थी। डॉ. मकरंद जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ी चालाकी से फेरबदल करवाए थे, वह जज लोया के किसी भी मेडिकल दस्तावेज में और अदालत में तक अपने नाम को सामने नहीं आने देने में अब तक सफल हो रहा था। जज लोया मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट की गड़बड़ी में जितनी बड़ी भूमिका डॉ. व्यावहारे की रही है, वह अब तक मीडिया में सामने नहीं आ पाई है।

सरकारी आधिकारिक दस्तावेजों के मुताबिक जज लोया का पोस्टमार्टम डॉ. एनके तुमराम ने किया था, जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में फॉरेंसिक विभाग में लेक्चरर थे। जबकि सच्चाई यह है कि पोस्टमार्टम डॉ. मकरंद व्यावहारे के निर्देशों पर किया गया था, जो तब वहीं प्रोफेसर थे और अब इंदिरा गांधी सरकारी मेडिकल कॉलेज, नागपुर में फोरेंसिक विभाग के प्रमुख हैं। व्यवहारे महाराष्ट्र की पावरफुल मानी जाने वाली चिकित्सा परिषद के सदस्य भी हैं जो कि राज्य के सभी चिकित्सकों के लिए पर्यवेक्षी निकाय है।

डॉ. व्यवहारे संस्थान और मेडिकल कॉलेज में राजनीतिक संबंधों के चलते कोई भी काम करवाने वाले शख्स के बतौर जाने जाते थे। अपने राजनीतिक संबंधों का लाभ लेकर ही वे एक लेक्चरर से हेड ऑफ डिपार्टमेंट समेत अन्य पावरफुल जगहों पर पहुंच बनाने में सफल रहे हैं। व्यावहारे महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुंगतीवार के जीजा हैं, जो कि फड़नवीस की कैबिनेट में नंबर दो की हैसियत रखते हैं।

पोस्टमार्टम के दौरान मौजूद रहे कर्मचारियों ने रिपोर्टर से हुई बातचीत में बताया कि डॉक्टर व्यावहारे पूरे पोस्टमार्टम के दौरान खुद खड़े रहे। डॉक्टर व्यावहारे उस समय बुरी तरह भड़क उठे जब एक जूनियर डॉक्टर ने जज लोया के सिर और पीठ पर लगी चोट को लेकर सवाल किया। कर्मचारियों के मुताबिक डॉक्टर व्यावहारे किसी कीमत पर नहीं चाहते थे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी भी उन तथ्यों का जिक्र हो जो मौके पर दिखाई दे रहे थे।

डॉक्टरी रिपोर्टों के मुताबिक जज लोया की मौत हॉर्ट अटैक से हुई है। लेकिन इस जांच रिपोर्ट से साफ है कि जज लोया की मौत का सच जान—बूझकर छुपाया गया है, जिसमें महाराष्ट्र के मंत्री के जीजा ने भाजपा हाईकमान के इशारे पर एक साजिशकर्ता की भूमिका निभाई है।

इंदौर में सरवटे बस स्टैंड के इलाके में एक दु:खद हादसा : दस मौतों को सरकार पी गयी

इंदौर में सरवटे बस स्टैंड के इलाके में एक दु:खद हादसा हुआ एक बहुमंजिला होटल की इमारत गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई ओर अभी भी कुछ लोग लापता हैं लेकिन कुछ प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ने इस घटना की रिपोर्टिंग करते हुए इस घटना को कार की टक्कर से हुई दुर्घटना का रूप दे दिया अनेक न्यूज़ चैनलों और न्यूज़ साइट पर यही हेडलाइन बनाई , एनडीटीवी ने भी.......

क्या किसी कार के किसी इमारत के पिलर से टकरा जाने पर इमारत गिर सकती है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस स्कोडा कार की टक्कर से होटल के पिलर को नुकसान पहुंचने की बात कही जा रही थी वो बन्दा अब सामने आया है और बोल रहा है कि मैं तो गाड़ी पार्क कर के चला गया था

प्रश्न यह उठता है कि दस लोग मारे जाते हैं कई घायल होते हैं तो मीडिया इस घटना को इस तरह से क्यो प्रस्तुत करने में इंटरस्टेड दिखाई देता है जिससे लोगो का ध्यान सिर्फ तात्कालिक कारण पर जाए, कारण इंदौर में हुई पिछली दुर्घटना में छिपा है।

जब डीपीएस स्कूल वाला बस हादसा हुआ तो जैसी घटना हुई उसे वैसा ही पेश किया गया और उस घटना में प्रशासनिक लापरवाही की बात बहुत बड़ा मुद्दा बन गयी, ओर मुख्यमंत्री तक को इस घटना पर स्पष्टीकरण देना पड़ा, इसलिए इस बार इस घटना में विशेष रूप से ध्यान रखा गया कि प्रशासनिक लापरवाही जैसी बात दबा दी जाए और 10 लोगो की मृत्यु को एक दुर्घटना का रूप दिया जा सके। जिस स्स होटल की इमारत ढही है बताया जा रहा है कि वह 80 साल पुरानी थी इस खतरनाक इमारत को नगर निगम को सालो पहले ही तोड़ देना चाहिए था, ओर इसकी लोकेशन इतने व्यस्ततम इलाके में थी कि हर अधिकारी को इसकी जर्जर स्थिति दिखती ही होगी , होटल मालिक ने इसे तोड़ने के बजाय 2 और मंजिल बना दी, 8 दिन पहले ही इसकी 1 छत गिरी थी यह इमारत इतनी बुरी स्थिति में थी कि जब भी तेज रफ्तार से बस निकलती यह थरथराने लगती थी। होटल के बेसमेंट में भी पानी भरा था, जिससे उसकी नींव भी लगातार कमजोर हो रही थी लेकिन शिवराज सरकार के अधिकारियों को तो बस मोटा माल कमाने से फुर्सत नही मिलती वो कहा इसे देखते, ...तो इंदौर के इतिहास में घटी सबसे बड़ी प्रशासनिक चूक की घटना को मीडिया द्वारा मैनेज कर लिया गया, आखिर छह महीने बाद चुनाव है सही रिपोर्टिंग होगी तो पब्लिक भड़क नही जाएगी ?

काला धंधा गोरे लोग........ भाजपा सरकारों ने कोयला अदानी के पास गिरवी रखा

(म. मो. विशेष) लीजिए एक और घोटाला सामने आया है और वह घोटाला भी छोटा मोटा नही है पूरे 125 करोड़ का घोटाला है। छत्तीसगढ़ को अडानी के हाथों बेच दिया गया है। ढाई हजार मिलियन टन क्षमता वाले छह कोल ब्लॉक को नीलाम न करके तीन भाजपा शासित राज्यों की सार्वजनिक क्षेत्र वाली कंपनियों को आवंटित कर दिया गया है।

कहने को कोल ब्लॉक्स कागजों में तो सार्वजनिक क्षेत्र वाली कंपनियों के हैं, लेकिन उनकी असली संपत्ति एक निजी कंपनी अडानी को माइन डेवलप एंड ऑपरेट (एमडीओ) नियुक्त करके सौंप दी गई है। इसका मतलब यह है कि प्रदेश में कुल 88 मिलियन टन प्रति वर्ष कोयला निकालने का काम या तो अडानी के पास पहुंच चुका है या फिर इसकी तैयारी अंतिम चरणों में है।

उदाहरण के लिए आप देखिए कि पतुरिया गिधमुड़ी कोल ब्लॉक भैया थान पॉवर प्रोजेक्ट के लिए आवंटित किया गया है। यह पॉवर प्रोजेक्ट इंडिया बुल्स के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ सरकार को बनाना था लेकिन यह परियोजना शुरु ही नहीं हो सकी और इंडिया बुल्स वापस चली गई। लेकिन इस कोल ब्लॉक से कोयला निकालने की तैयारी हो रही है। जब परियोजना ही नहीं है तो फिर कोयला क्यों निकाला जाएगा ? किसके लिए निकाला जाएगा ? छत्तीसगढ़ सरकार कोयला व्यापारी तो है नहीं तो फिर यह मोदीजी के इशारे पर अडानी को उपकृत करने के अलावा और क्या है ?

ओर इन्हीं आधार पर अडानी कह रहे हैं कि कि अगले दशक में उनका कोयला उत्पादन 150 मिलियन टन हो जाएगा।

जिन खदानों से जुड़े हुए कोल ब्लॉक में हिंडाल्को 3500 रु प्रति टन कोयला निकाल रही हैं वही अडानी को मात्र 100 रु प्रति टन में ठेका दिया गया है कहने को तो यह आरोप कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष भूपेश पटेल लगा रहे हैं, लेकिन स्वतंत्र स्त्रोतों से भी इसकी पुष्टि होती है कि किस तरह से सरकारी अधिसूचनाओ में मनमाने परिवर्तन करा कर अडानी किस तरह से कोयले को खुले बाजार में बेच कर अरबो खरबो के मुनाफे का खेल खेलने को तैयार बैठे।

दिन रात 2 जी स्कैम ,राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, कोल ब्लॉक में भ्रष्टाचार आदि घोटाले की राग रागनियों को गा कर जो लोग सत्ता में आये थे वो ही आज नया कोयला घोटाला करने से बाज नही आ रहे।

- प्रदीप कासनी

एसआरएस ग्रुप वाले गिरफ्तार - नीमका जेल में आयी बहार

फरीदाबाद (म. मो.) एसआरएस एस ग्रुप के मालिकान और डायरेक्टरों सहित पांच लोगों की गिरफ्तारी के बाद उन्हें नीमका जेल भेजे जाने से वहां के जेल अधीक्षक अनिल कुमार की मौज आ गयी. वह काफी लम्बे समय से किसी मोती मुर्गी के आने का इन्तजार कर रहा था।

कैदियों के राशन को हड़पने, बीड़ी के बंडल ब्लैक में बेचने, कैंटीन की खाने पीने की वस्तुएं दुगने तिगुने दाम पर बेच कर जितना मुनाफा साल भर में नहीं होता उससे कहीं अधिक उसकी आय तो एसआरएस वालों से एक दिन में ही हो जायेगी।

इस संवाददाता का व्यक्तिगत अनुभव है कि इस तरह की मोती आसामी जब भी जेल में आती हैं टी जेल अधीक्षक अनिल उन्हें पहले दिन ही इतना भयभीत कर देता है कि एक झटके में करोड़ दो करोड़ का प्रबंध हो जाता है. सन 2012 में इस संवाददाता ने अपने सामने ऐसी ही एक आसामी से अनिल को इसी जेल में 50 लाख लेते देखा है।

कल्पना कीजिये, इतनी बड़ी रकम लेकर एक आदमी बाकायदा जेल की ड्योढी में प्रवेश करता है. नियमानुसार होने वाली तलाशी में नोटों की गड्डियां सारे जेल कर्मचारी देखने के बाद अनिल के पास भेज देते हैं जो इस रकम को रख लेता है. रिश्वत लेने का इतना बेजोड़ ढंग सुनने में नहीं आया था।

अब काफी अरसे बाद एसआरएस मालिकान के रूप में जेलर अनिल को कम से कम पांच करोड़ की आसामियां हाथ लगी हैं. भीतर की जानकारी रखने वाले बताते हैं कि अब अनिल काफी सतर्क होकर पैसे पकड़ता है। हो सकता है कि इतनी बड़ी पेमेंट वह अपने किसी दल्ले की मार्फत पकड़े।

विधायक पति की हार ने खुश कर दी बार

फरीदाबाद (म. मो.) छः अप्रैल को हुए स्थानीय बार चुनाव में बॉबी रावत की जीत ने वकीलों को इतना खुश नहीं किये बढ़खल विधायक सीमा त्रिखा के पति अश्वनी त्रिखा की हार ने। करीब डेढ़ सौ मत के अंतर से जीत कर बार प्रधान बने बॉबी रावत के बारे में वकीलों का कहना है कि उन के पास तो कोई लिफाफा यानी केस ही नहीं, इसलिए वे तो क्या ही सौदेबाजी करेंगे. हाँ, त्रिखा के पास कुछ काम-धाम है।

उनकी पत्नी के विधायक बनने के बाद वे बेशक अदालतों में कम ही दिखाई देते हैं, फिर भी किसी न किसी न्यायिक या प्रशासनिक काम के लिए लोग उनके पास अच्छी खासी संख्या में आते रहते हैं। बार प्रधान होने पर उनकी मारक क्षमता जाहिर है डबल हो जानी थी, जो हार से रह गयी।

उनकी हार के पीछे भाजपा का वह ग्रुप भी था जो सीमा त्रिखा के विरुद्ध रहा है. इसके अलावा गत विधान सभा चुनाव में सीमा से हारे पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह ने तो खुलकर अश्वनी की मुखालफत की थी. इस बाबत मजदूर मोर्चा ने पिछले अंक में विस्तृत जानकारी दी थी।

कविता / ओमप्रकाश वाल्मीकि

यदि तुम्हें,
धकेलकर गांव से बाहर कर दिया जाय
पानी तक न लेने दिया जाय कुएं से
दुत्कारा फटकारा जाय चिल-चिलाती दोपहर में
कहा जाय तोड़ने को पत्थर
काम के बदले
दिया जाय खाने को जूठन
तब तुम क्या करोगे ?

यदि तुम्हें,
मरे जानवर को खींचकर
ले जाने के लिए कहा जाय
और
कहा जाय ढोने को
पूरे परिवार का मैला
पहनने को दी जाय उतरन
तब तुम क्या करोगे ?

यदि तुम्हें,
पुस्तकों से दूर रखा जाय
जाने नहीं दिया जाय
विद्या मंदिर की चौखट तक
ढिबरी की मंद रोशनी में
काली पुती दीवारों पर
ईसा की तरह टांग दिया जाय
तब तुम क्या करोगे ?

यदि तुम्हें,
रहने को दिया जाय
फूस का कच्चा घर
वक्त-बे-वक्त फूंक कर जिसे
स्वाहा कर दिया जाय
बर्षा की रातों में
घुटने-घुटने पानी में
सोने को कहा जाय
तब तुम क्या करोगे ?

यदि तुम्हें,
नदी के तेज बहाव में
उल्टा बहना पड़े
दर्द का दरवाजा खोलकर
भूख से जूझना पड़े
भेजना पड़े नई नवेली दुल्हन को
पहली रात ठाकुर की हवेली
तब तुम क्या करोगे ?

यदि तुम्हें,
अपने ही देश में नकार दिया जाय
मानकर बंधुआ
छीन लिए जायं अधिकार सभी
जला दी जाय समूची सभ्यता तुम्हारी
नोच-नोच कर
फेंक दिए जाएं
गौरव में इतिहास के पृष्ठ तुम्हारे
तब तुम क्या करोगे ?

यदि तुम्हें,
वोट डालने से रोका जाय
कर दिया जाय लहू-लुहान
पीट-पीट कर लोकतंत्र के नाम पर
याद दिलाया जाय जाति का ओछापन
दुर्गन्ध भरा हो जीवन
हाथ में पड़ गये हों छाले
फिर भी कहा जाय
खोदो नदी नाले
तब तुम क्या करोगे ?

यदि तुम्हें ,
सरे आम बेइज्जत किया जाय
छीन ली जाय संपत्ति तुम्हारी
धर्म के नाम पर
कहा जाय बनने को देवदासी
तुम्हारी स्त्रियों को
कराई जाय उनसे वेश्यावृत्ति
तब तुम क्या करोगे ?

साफ सुथरा रंग तुम्हारा
झुलस कर सांवला पड़ जायेगा
खो जायेगा आंखों का सलोनापन
तब तुम कागज पर
नहीं लिख पाओगे
सत्यम, शिवम, सुन्दरम !
देवी-देवताओं के वंशज तुम
हो जाओगे लूले लंगड़े और अपाहिज
जो जीना पड़ जाय युगों-युगों तक
मेरी तरह ?
तब तुम क्या करोगे ?

मोदी सरकार ने तीन साल में 2.5 लाख करोड़ माफ किए पूंजीपतियों के और संसद में जवाब दिया कैसे बताएं उन सम्मानितों के नाम

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके खास कार्पोरेट यार अडानी, अम्बानी, टाटा : बजट से मनचाही छीन झपट

पूंजीपतियों ने देश को जितना बट्टा लगाया है, वह एक साल के कुल केंद्रीय बजट से कुछ ही कम पड़ता है। गृह मंत्रालय का भी सालाना केंद्रीय बजट मात्र 93,450 करोड़ है। मोदी सरकार ने किसी भी मंत्रालय को इतना बजट नहीं दिया है जितना सम्मानित पूंजीपतियों के नाम पर बट्टा खाते में डाला गया है। रेलवे की सेफ्टी का बजट भी मात्र 1 लाख करोड़ का है।

जनज्वार विशेष

पूंजीपतियों के कर्जमाफी को बट्टा खाता यानी राइट ऑफ के जाल में फंसाने वालों से रहें सावधान, उन्हें भेजें सीधी चुनौती, पूछें उनसे कि किसी एक पूंजीपति का वे बताएं नाम जिसने बट्टा खाते में पड़े कर्ज का एक पैसा भी किया हो सरकार को अदा!

देश को लूटने वालों का नाम बताने की हिम्मत नहीं कर पाई संसद में सरकार, मंत्री ने दिया आरबीआई नियमों का हवाला कि नहीं बता सकते नाम, लेकिन 1—2 लाख के कर्जदार—गरीब हजारों किसानों को हर साल करती आत्महत्या के लिए मजबूर!

सिर्फ 3 साल में पूंजीपतियों का 2.5 लाख करोड़ रुपए माफ करने वाली मोदी सरकार के संसद में दिए जवाब से साफ है कि मोदी और उनकी कैबिनेट उन्हीं लुटेरों पर मेहरबान है जिसके खिलाफ खड़े होने का नारा देकर भाजपा राजनीतिक जीत के ऐतिहासिक दरवाजे की दहलीज पर 2014 में पहुंची थी।

आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सदन में इस संबंध में दो सवाल पूछे थे। एक यह कि 2014 से 2017 के बीच सरकार ने बैंकों से पूंजीपतियों द्वारा लिए कर्ज में से कितना एनपीए किया है। और दूसरा यह कि इन वित्तीय वर्षों में जिनका एनपीए हुआ है, कृपया सरकार उनका नाम बताए। पर सरकार ने एनपीए की जानकारी देने के बाद कर्ज लेने वालों का नाम बताने से दो टूक मना कर दिया। कहा कि कर्ज लेकर बैंकों का पैसा न लौटाने वालों के नाम सरकार सार्वजनिक नहीं कर सकती, क्योंकि वह आरबीआई नियमों से बंधी हुई है। वित्त मंत्रालय की ओर से संसद में जवाब दे रहे वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा वर्ष 2014—15 से लेकर सितंबर 2017 के बीच सरकार द्वारा संचालित बैंकों ने पूंजीपतियों के 2 लाख 41 हजार 911 करोड़ रुपए राइट ऑफ किए हैं। सरकार ने अपने जवाब में आगे जोड़ते हुए बताया है कि यह रिजर्व बैंक की नियमित प्रकिया है, उसी आधार पर यह किया गया है।

वित्त राज्य मंत्री शिवप्रताप शुक्ला ने आगे कहा कि आरबीआई नियमों के अनुसार धारा 45 ई के अंतर्गत %रिजर्व बैंक एक्ट 1934 में कर्जदारों का नाम नहीं बताने का प्रावधान है, इसलिए सरकार किसी कर्जदार का नाम सार्वजनिक नहीं कर सकती। साथ ही सरकार ने यह कहा पूंजीपतियों के कर्ज को बट्टा खाता में डाला गया है।

गौरतलब है कि पूंजीपतियों के कर्जमाफी का मामला सामने आते ही बट्टा खाता शब्द उछाल लेता है। अर्थशास्त्रियों और आर्थिक जानकारों द्वारा बताया जाता है कि यह किसान कर्जमाफी से से अलग है, इसे सरकार ने बट्टा खाते में डाला है, कर्ज माफ नहीं किया है। इस तर्क के जरिए यह साबित करने की धुंध फैलाई जाती है कि पूंजीपतियों द्वारा लिया कर्ज वापस होगा।

पर यह पूरी तौर पर झूठ है। क्योंकि आजतक के इतिहास में किसी एक पूंजीपति ने बट्टे खाते का एक पैसा वापस नहीं किया है और सरकार का पैसा पूरे तौर पर डूब गया है। किसान कर्जमाफी और पूंजीपतियों के एनपीए यानी बट्टाखाता में शब्द के अलावा कोई फर्क नहीं है।

वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार और विश्लेषक राजेश रपरिया कहते हैं, जिसको यह लगता है शब्दाडंबर खड़ा कर पूंजीपतियों की कर्जमाफी से अलग है कुछ बट्टाखाता, उनको सरकार से पूछना चाहिए कि किसी एक पूंजीपति वे नाम बताएं जिसने बट्टे खाते का एक पैसा वापस किया हो।

ऐसे में उन सभी अर्थशास्त्री और आर्थिक जानकारों को खुला चैलेंज है, जो कहते हैं कि बट्टा खाता यानी राइट ऑफ और कर्ज माफी यानी वेव ऑफ के बीच फर्क है। वे आएं और देश के सामने बताएं कि शब्दजाल का नाटक फैलाने से किस मायने में है यह अलग, क्योंकि जनज्वार के आर्थिक विश्लेषक डंके की चोट पर साबित करेंगे कि बट्टा खाता पूंजीपतियों की कर्जमाफी का सबसे मुफीद शब्द है जिसके खेल में कॉरपोरेट मीडिया और सरकार दोनों लगी हैं।

भारत में 80 फीसदी आबादी गांवों में निवास करती है और इस ग्रामीण विकास के लिए सरकार का सालाना बजट 1,38,097 करोड़ रुपए है, जोकि पूंजीपतियों द्वारा लगाए गए बट्टे से लगभग आधी राशि है। इसी तरह पूरे देशभर के परिवहन के लिए पूरे मंत्रालय को कुल 1,34,872 करोड़ रुपए दिए गए हैं, यह भी पूंजीपतियों को बैंकों को दिए गए कर्ज का लगभग आधा है।

किसानों की हितैषी होने का दावा करने वाली मोदी सरकार का किसानों के लिए कुल बजट भी सिर्फ 63,836 करोड़ रुपए है। यानी पूंजीपतियों ने देश को जितना बट्टा लगाया है, उससे किसानों को चार साल से भी ज्यादा का बजट दिया जा सकता था। देश के स्वास्थ्य का बजट भी मात्र 54,667 करोड़ रुपए है।

देश के जितने पैसों को पूंजीपतियों ने चूना लगाया है उससे शिक्षा क्षेत्र को तकरीबन तीन साल से भी ज्यादा का बजट दिया जा सकता है। शिक्षा के लिए भी सरकार का कुल 85,010 करोड़ रुपए का बजट दिया है।

पूंजीपतियों ने देश को जितना बट्टा लगाया है, वह एक साल के कुल केंद्रीय बजट से कुछ ही कम पड़ता है। गृह मंत्रालय का भी सालाना केंद्रीय बजट मात्र 93,450 करोड़ है। मोदी सरकार ने किसी भी मंत्रालय को इतना बजट नहीं दिया है जितना सम्मानित पूंजीपतियों के नाम पर बट्टा खाते में डाला गया है। रेलवे की सेफ्टी का बजट भी 1 लाख करोड़ का है।

ईएसआई हैल्थ केयर का नाश करने का बीड़ा उठा रखा है

मेडिकल कमिश्नर कटारिया है अड़ंगा मास्टर

फ़रीदाबाद (म.मो.) दिल्ली स्थित ईएसआईसी मुख्यालय, पंचदीप भवन में बतौर मेडिकल कमिश्नर तैनात है आर के कटारिया। ईएसआई कार्पोरेशन के मुखिया तो बेशक एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी बतौर डीजी होते हैं; परन्तु उनके नीचे के पायदान पर तमाम अस्पतालों का पूरा प्रशासनिक जिम्मा मेडिकल कमिश्नर कटारिया के पास होता है।

कहां अस्पताल बनेगा, कहां नहीं बनेगा, कितना स्टाफ़ रखना है, कितना साजो-सामान एवं उपकरण आदि खरीदना है, देश भर में किस डॉक्टर को कहा तैनात करना है, किन व्यापारिक अस्पतालों को मरीज़ रेफ़र होने हैं आदि-आदि सब मेडिकल कमिश्नर के अधिकार में होता है। इसके अलावा डीजी तो कोई 2-4 साल के लिये ही तैनात होकर आता है जबकि कटारिया जैसे इस कार्यालय में स्थाई जड़ जमाये बैठे हैं। मुख्यालय में पुराने एवं वरिष्ठ होने के नाते डीजी भी इन्हीं लोग़ों की बात को ही मान कर चलते रहते हैं। बहुत सी बातें तो ये लोग डीजी तक पहुंचने ही नहीं देते।

स्थानीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल के रास्ते में ये जितने रोड़े अटका सकते थे, जमकर अटकाये। इन्होंने अपने जैसों का पूरा गिरोह बनाकर पुरज़ोर प्रयास किया कि मेडिकल कॉलेज न चले। अन्त में यह प्रयास किया कि 2015 में तो कम से कम न ही चले। लेकिन डीजी के पद पर अचानक दीपक कुमार तैनात हो गये। इस पद पर तैनाती से पहले भी वे ईएसआईसी से जुड़े थे इसलिये उन्हें इस बाबत सारा ज्ञान था। उन्होंने मेडिकल कॉलेज को 2015 में ही चलाने की ठान ली। इसके लिये वे सुप्रीम कोर्ट तक भी गये और कॉलेज को चलवाया।

मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के चलते काम में रोड़े अटकाने के लिये कटारिया ने डॉ. गौतम को नौएडा से यहां का मेडिकल सुपरिटेंडेंट बनाकर भेज दिया। करीब दो साल तक गौतम ने कटारिया गिरोह के इशारों पर नाचते हुए हर तरह से संस्थान को खराब करने का प्रयास किया। जब गौतम ने हाथ खड़े कर दिये तो उन्हें डीएमएस बना दिया और डॉ. जैन को एमएस बना कर यहां बैठा दिया। लेकिन डॉ. जैन को बहुत जल्दी समझ आ गई कि कटारिया गिरोह के इशारे पर चलना खतरे से खाली नहीं है। इसी दौरान डीजी को भी काफ़ी कुछ समझ आ चुका था। उन्होंने मेडिकल सुपरिटेंडेंट की तमाम वित्तीय शक्तियां डीन को दे दी। कटारिया ने साल पूरा होते-होते ये शक्तियां फ़िर मेडिकल सुपरिटेंडेंट को दिला दीं। लेकिन मौजूदा डीजी राजकुमार ने मेडिकल कॉलेज की ही नहीं कटारिया गिरोह के भी पर कतरते हुए देश भर के तमाम मेडिकल कॉलेज के डीन साहेबान की शक्तियां और बढा दी। इतना ही नहीं डीजी ने तमाम डीन से सीधे राप्ता भी बना लिया। लगता है उन्हें कटारिया की कारसतानियों का काफ़ी अन्दाज़ा हो चुका है।

प्रतिनियुक्ति के मामले में डीजी को मिसगाइड किया

मेडिकल कॉलेज बनाने के लिये ईएसआई कार्पोरेशन ने जब एनएच-3 के अस्पताल का अधिग्रहण किया तो लगभग सारे स्टाफ़ को भी ले लिया था। उस वक्त कार्पोरेशन ने स्टाफ़ से कहा था कि जो लोग कार्पोरेशन में समाहित होना चाहते हैं वे अपनी इच्छा प्रकट करें और हरियाणा सरकार से अनापत्ति लायें। दिसम्बर 2016 में हरियाणा सरकार ने अनापत्ति जारी कर दी तो कटारिया गिरोह उसे दबा कर बैठ गया। इससे अध-बीच लटके स्टाफ़ को काफ़ी परेशानियां हुई।

अभी पिछले दिनों कुछ डॉक्टर इसी मामले को लेकर डीजी से मिले तो कटारिया ने उन्हें मिसगाइड करते हुए कहा कि ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। इसके अलावा कार्पोरेशन में समाहित होने वाले स्टाफ़ कोर्ट केस आदि करके तंग करेंगे। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी पुराने स्टाफ़ की बदौलत, कटारिया की तमाम बेहूदगियों के बावजूद चलता रह सका यह अस्पताल और एमसीआई की शर्तें एवं मानकों को पूरा किया गया।

कटारिया ने न कभी स्टाफ़ पूरा होने दिया न उपकरण

जातीय एवं राजनीतिक तिकड़मबाज़ी के बल पर एक साथ दो पदोन्नतियां पाकर कटारिया अपने कई वरिष्ठ अफ़सरों से वरिष्ठ होकर उनके सिर पर जा बैठे। इस तिकड़म में इनके भाई के ससुर फूल चंद मुलाना जो हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, का प्रभाव अति महत्वपूर्ण रहा है। बैठ गये सो बैठ गये परन्तु बैठने के बाद कोई काम तो ढंग का कर लेते, परन्तु लगता है इन्होंने, कसम खा रखी है कि कोई ढंग का काम करना ही नहीं। खासकर अंशदाता मज़दूरों के हक में तो कुछ भी होने ही नही देना।

तमाम स्टाफ़ की भर्ती तथा 25 लाख से अधिक कीमत के उपकरणों की खरीद का निर्णय एवं प्रक्रिया का अधिकार कटारिया के पास है। इसके चलते न तो कभी स्टाफ़ की कमी पूरी हुई और न ही उपकरणों की। भर्ती के लिये पद विज्ञापित करना, उनके साक्षात्कार व नियुक्ति पत्रों को महीनो लटका-लटका कर परेशानियां पैदा करना इनका शौक रहा है। इसी तरह उपकरणों की खरीद के लिये टेंडर निकालने में भी ऐसी ड्रामेबाज़ी ये साहब करते आये हैं कि अस्पताल को चलाने की इच्छुक फ़ेकल्टी एवं डॉक्टर रो-पीट कर रह लेते थे परन्तु ढीठ कटारिया की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता था।

मौजूदा डीजी राजकुमार ने इन सब बातों को भांप लिया लगता है। जानकार बताते हैं कि डीजी ने स्पष्ट कह दिया है कि या तो कटारिया जैसे वरिष्ठ लोग ढंग से काम कर लें वरना नये एवं कनिष्ठों को काम पर लगा दिया जायेगा। दरअसल डीजी की नज़र उस एक हज़ार करोड़ के बिलों पर पड़ गयी जो ईएसआई कार्पोरेशन प्रति वर्ष व्यापारिक अस्पतालों को रेफरल केसों पर अदा करता आ रहा है। करीब सौ करोड़ की ऐसी पेमेंट तो अकेले एनसीआर यानी दिल्ली के आस-पास के क्षेत्र में ही हो जाती है। डीजी ने इसी बात को समझ लिया कि जब वे इतनी भारी-भरकम पेमेंट चिकित्सा व्यापारियों को करते हैं तो इतनी बल्कि इससे भी कम लागत में तो ये सारे इलाज कार्पोरेशन के अपने अस्पतालों में भी तो किये जा सकते हैं। बात तो ठीक समझ में आ गयी परन्तु व्यापारिक अस्पतालों से जो कमीशन की मोटी रकम कटारिया गिरोह को मिलती थी उसका क्या होगा?

डॉक्टरों को कैसे तंग करता है कटारिया

दिल्ली के बसई दारापुर स्थित ईएसआईसी के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तैनात डॉक्टर संगीता नारंग कम्युनिटी मेडिसिन की विशेषज्ञ थी। वे फ़रीदाबाद के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अपना तबादला कराना चाहती थी। एमसीआई मानकों के अनुसार यहां के अस्पताल को उनकी सख्त जरूरत भी थी। लेकिन कटारिया ने तो कसम खा रखी है कि कोई ढंग का काम करना ही नहीं। लिहाजा डॉ. संगीता को वहां त्यागपत्र तथा एक माह का वेतन देकर अपना पीछा छुड़ाना पड़ा। उसके बाद यहां ठेके पर नौकरी शुरू करनी पड़ी।

इसके बरक्स लुधियाना के ईएसआईसी अस्पताल में डॉ. भंडारा बतौर मेडिकल सुपरिटेंडेंट तैनात थे। उनकी लगभग सारी नौकरी एनसीआर की ही रही है। इस लिये वह किसी भी कीमत पर वापस दिल्ली के निकट आना चाहते थे। इसके लिये उन्होंने थोड़ी ड्रामेबाज़ी करके लुधियाना के विधायक से पंगा लिया, शिकायत मुख्यालय पहुंची तो कटारिया ने अपने सजातीय भाई डॉ. भंडारा का तबादला नौयडा का कर दिया। इसके लिये नौयडा में पहले से बतौर डीएमएस डॉ. जैन को फ़रीदाबाद में बतौर साधारण डॉक्टर नियुक्त कर दिया जबकि डॉ. जैन यहां पहले से बतौर डीएमएस नियुक्त बैठी डॉ. निशा रजानी से वरिष्ठ हैं। परन्तु कटारिया को औरों की वरिष्ठता एवं कनिष्ठता से क्या लेना-देना, उन्होंने तो अपने बिरादरी भाई भंडारा को ठीक-ठिकाने बैठाना था सो बैठा दिया, बाकी सब जैसे मर्जी चले न चले।

ईएसआई के अंशदाताओं की खुशकिस्मती ही समझो कि महानिकम्मे व नालायक डीजी अनिल अग्रवाल के बाद दो डीजी (दीपक कुमार व राजकुमार) लगातार बढिया मिले हैं। इन्होंने कटारिया गिरोह की नकारात्मक ताकत को बहुत हद तक कुंद करके रखा है। परन्तु इसके बावजूद अपनी फ़ितरत के मुतरबिक जब भी, जहां भी कटारिया को मौका मिलता है, अपना रंग दिखाये बगैर नही रहता।

पिछले दिनों डीजी ने आदेश जारी किया कि ठेके पर लगे तमाम सेवा निवृत डॉक्टरों को उनकी पेंशन काटे बगैर पूरा वेतन दिया जायेगा। यहां कटारिया ने अपनी ठुंगी मारते हुए इस आदेश को केवल नये तैनात होने वालों के लिये लागू कर दिया। यानी जो पहले से तैनात हैं उनकी तो पेंशन कटेगी और नवनियुक्त होने वालों की नहीं कटेगी। है ना अक्ल से दुश्मनी वाली बात! भला कौन डॉक्टर अपनी पेंशन कटने देगा? लिहाजा ऐसे सभी डॉक्टरों ने त्यागपत्र दिया तथा दोबारा नियुक्ति पाई। जाहिर है दोबारा से साक्षात्कार एवं भर्ती प्रक्रिया चलाई गयी जिसके फ़लस्वरूप फ़िजूल का दफ़्तरी काम बढ गया, सैंकड़ों कागज़ काले किये गये।

सरकारी भर्तियों में संघी भ्रष्टाचार का ज़हर ऊपर से नीचे तक

हरियाणा में जो गिरफ़्तार हुए हैं, वे केवल संघी सुशासन सहयोगी, छोटे मुलाज़म और दलाल हैं। पुनीत सैनी, बलवानसिंह, - पहला एचएसएससी चैयरमैन का तो दूसरा उसके एक मेम्बर का अघोषित मगर सर्वज्ञात टाउट, रोहताश शर्मा, - कमीशन के सैक्रेटरी का कथित रिश्तेदार, सुभाष पाराशर, - कमीशन में एक अधीक्षक जिसके स्वयं के बेटा-बेटी आपराधिक तरीक़े से (मैरिटवाले / टॉपर!) नौकरी में घुसे हैं।

सैनी भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय जहाँ अमित शाह विराजते हैं, के रास्ते से आया हुआ/भेजा हुआ एक पिस्सू निकला। आइटी सैल का फिक्स्चर। इसी कमीशन में "आउटसौर्सिंग" की नीति के तहत अपनी घुसपैठ बनाये हुए। कोई दो बरस से। इतने बड़े-बड़े गफ़्फ़े मारते हैं और ऐसे मोटे-मोटे हाथ लगते हैं कि "तनख़्वाह" लेना तक भूले हुए हैं। ऐसे "निस्वार्थ" और गोपनीय ऑपरेटिव मामूली से मामूली जगह दख़ल बनाकर ढाँचे का पूरा-पूरा ख़ून चूस रहे हैं। इनके आका भी। जोंकों और पिस्सुओं की फ़ेहरिश्त बहुत लम्बी है। ये विषैली अमरबेलें अब किस विभाग में नहीं हैं! उनकी करतूतों को दर्ज़ करने लगेंगे तो अनेक जिल्दें भर जायेंगीं। ....और अधिक भीतर तक देखा जाय नौकरियों में भ्रष्टाचार का आरक्षण ख़तम करो।

- प्रदीप कासनी

ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज के बच्चों ने फ़िर बाज़ी मारी

फ़रीदाबाद (म.मो.) कार्पोरेशन के एनएच-3 स्थित मेडिकल कॉलेज के मेडिकल सकेंड (2015-16 बैच) के विद्यार्थियों ने इस वर्ष हुई युनिवर्सिटी परीक्षाओं में बाज़ी मार कर अपना ही गत वर्ष का रिकार्ड तोड़ दिया।

हरियाणा भर के तमाम मेडिकल कॉलेजों के मुकाबले यहां के छात्रों का परिणाम सबसे बेहतरीन रहा। पहले 10 स्थानों में 6 स्थानों पर तो उन्होंने कब्ज़ा किया ही साथ में प्रथम स्थान भी यहां की छात्रा हरप्रीत कौर ने प्राप्त किया। द्वितीय स्थान पर आये रोहतक मेडिकल कॉलेज के छात्र को इन्होंने 13 अंकों से पछाड़ कर प्रथम स्थान ग्रहण किया। गत वर्ष की परीक्षा मे हरप्रीत द्वितीय स्थान पर रही थी। इस बार और अधिक मेहनत करके प्रथम स्थान प्राप्त किया। वे फ़ेसबुक तथा व्हाट्सेप पर समय बर्बाद न करके सारा समय अपनी पढाई पर लगाती हैं।

युनिवर्सिटी में चौथा स्थान प्राप्त किया आकांक्षा ने, पांचवां शालू ने तो छठे स्थान पर हिमानी। सातवें पायदान पर आदित्य तो आठवें नम्बर पर रही निधि। सुधी पाठक नाम पढ कर ही समझ गये होंगे कि ऊपर के इन 6 स्थान पाने वालों में 5 बेटियां हैं। अपनी इस सफ़लता से बेटियों ने सिद्ध कर दिया कि मौका मिले तो वे क्या नहीं कर सकती। बिना किसी सिफ़ारिश के, केवल अपनी योग्यता के आधार पर प्रवेश परीक्षा पास करके इस मेडिकल कॉलेज में दाखिला प्राप्त करने वालों में से 55 प्रतिशत बेटियां हैं।

नये-नये खुले इस कॉलेज का कुल परिणाम भी 98 प्रतिशत है। विदित है कि हरियाणा के सबसे पुराने मेडिकल कॉलेज रोहतक, अग्रेहा, नूंह, खानपुर तथा अन्य प्राइवेट कॉलेज इस कॉलेज से बहुत पीछे रह गये हैं।

इसका श्रेय बच्चों की मेहनत को तो जाता ही है लेकिन इनकी मेहनत को सही दिशा एवं प्रोत्साहन देकर कामयाब करने में पूरी फ़ेकल्टी एवं डीन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

एमसीआई का आदेश, तीन वर्ष पुराने मेडिकल कॉलेज में स्नातकोत्तर पढाई जरूरी

दिल्ली (म.मो.) मेडिकल काऊंसिल ऑफ़ इंडिया ने देश भर के तीन वर्ष पुराने मेडिकल कॉलेजों के लिये आदेश जारी किया है कि वे अपने यहां एमबीबीएस के बाद की पढाई यानी एमडी व आदि, की व्यवस्था तुरंत प्रभाव से करें, अन्यथा उन्हें एमबीबीएस का आगामी सत्र चलाने की स्वीकृति नहीं मिलेगी। यह वास्तव में ही बहुत अच्छा फ़ैसला है। इससे देश में चल रही विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर होगी और मरीज़ों को बेहतर चिकित्सा उपलब्ध हो पायेगी।

विदित है कि जहां स्नातकोत्तर की पढाई की सुविधा होती है उस संस्थान में श्रेष्ठतम विशेषज्ञ डॉक्टर तो टिकते ही हैं, सीनियर व जूनियर रेज़िडेंट डॉक्टर भी टिके रहते हैं। अभी फ़रीदाबाद के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर कतई टिक कर राज़ी नहीं हैं। अपनी इस तैनाती के दौरान वे विशेषज्ञ डॉक्टरों की शागिर्दी में अधिकतम काम करके अपनी श्रेष्ठता को बढाना चाहते हैं। इसके लिये वे 18-18 घंटों तक भी काम करते हैं। परन्तु जहां काम ही न हो और केवल रेफ़रल फ़ार्म ही भरने हों तो वहां कौन रेजिडेंट ठहरेगा?

फरीदाबाद के एमसी में स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए बेहतरीन इन्फ्रास्ट्रक्चर मौजूद हैं केवल कुछ वरिष्ठ प्रोफेसर डाक्टरों की भर्ती करना है यदि मैडिकल कमिश्नर कटारिया अपनी फितरत के मुताबिक अड़ंगेबाजी न करे तो यहां यह पढ़ाई तुरन्त शुरू की जा सकती है।

पंचतारा डिलाइट को लेकर एनजीटी का नाटक शुरू, होटल मालिक निश्चिंत

फ़रीदाबाद (म.मो.) पर्यावरण एवं वन विभाग, एनजीटी तथा सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को धता बताकर पंचतारा होटल के निर्माण का मामला 3 अप्रैल को दिल्ली स्थित एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रब्यूनल) के सामने पेश हुआ। होटल मालिक बंटी के पास एनजीटी में पेश करने को कोई दस्तावेज नहीं था, फ़िर भी वह पूरी तरह निश्चिंत नज़र आ रहा था। उन्होंने निर्माण कार्य को न रोके जाने की मांग करते हुए दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिये एक लम्बी तारीख मांगी। एनजीटी ने उनकी दोनों मांगे ठुकरा दी। तीन दिन के भीतर वे अपने दस्तावेज एनजीटी में जमा करायेंगे तथा उनकी प्रतियां याची वरूण श्योकंद को भी देंगे। सुनवाई की अगली तारीख 12 अप्रैल दी गयी, तब तक निर्माण कार्य बंद रहेगा।

समझ नहीं आता कि एनजीटी यह सब नौटंकी क्यों कर रहा है? यह तो वही बात हो रही है कि दो और दो होते तो चार हैं परन्तु सिद्ध करके बताओ कि चार ही होते हैं, तीन या पांच नहीं होते। बड़ी सीधी सी बात है कि जब पर्यावरण एवं वन विभाग, एनजीटी व सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की पहाड़ियों में निर्माण कार्यों पर रोक लगाते हुए इसे संरक्षित वन क्षेत्र घोषित कर रखा है तो फ़िर यह तारीख पर तारीख लगाने की ड्रामेबाज़ी क्यों की जा रही है? क्यों दोनों ओर के वकीलों को धंधे पर लगा रखा है? क्यों नहीं अवैध निर्माण करने वाले तथा उसे न रोकने वाले जिम्मेदार अधिकारियों को अब तक हवालात में बंद किया? जाहिर है यहां किसी का लक्ष्य अरावली को बचाना नहीं बल्कि बचाने के नाम पर रिश्वतखोरी के भाव बढाना है।

सवाल यह भी महत्वपूर्ण है कि एनजीटी याची के रूप में वरूण श्योकंद को क्यों बार-बार तलब कर रहा है? यदि वरूण श्योकंद मामले से हट जाये तो क्या एनजीटी अथवा सरकार का अरावली के प्रति दायित्व समाप्त हो जाता है? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के एक उच्चाधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि सरकार पर्यावरण एवं वन संरक्षण के कठोर कानूनों द्वारा ऐसे क्षेत्रों में निर्माण आदि पर नियंत्रण तो चाहती है लेकिन बिल्कुल बंद करना नहीं चाहती। राजनेता एवं अधिकारी कठोर कानूनों के नाम पर अच्छी-खासी वसूली करके अपने चहेतों के निर्माणों का चोर रास्ता रखते ही है।